

खंडों पर टिप्पण

आय-कर

खंड 2 – विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए हैं, जिन पर आय-कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए कर से प्रभावी आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, इस खंड में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान आय से, ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए जो आय-कर अधिनियम के अधीन है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी है और इसी में वे दरें भी दी गई हैं जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है, “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभावी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या उसका संदाय किया जाना है और वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए विशेष दशाओं में कर का परिकलन किया जाना है और कर प्रभारित किया जाना है।

निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वही दरें हैं जो वित्त अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान “वेतन” से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर आय-कर की “वेतन” से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान स्रोत पर कटौती की जानी है। ये वे दरें हैं जो वित्त अधिनियम, 2003 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थी। इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में,—

(i) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यक्ति निकाय की चाहे निगमित हो या न हो, दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय का संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, जो आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(ii) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी तथा कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से ; और

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान “वेतन” से स्रोत पर कर की कटौती करने, “अग्रिम कर” की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, उन दरों को विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर “वेतन” शीर्ष के अधीन स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या उसका संदाय किया जाना है और उन दरों को भी विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर “अग्रिम कर” का संदाय किया जाना है और वित्तीय वर्ष 2004-2005 के लिए विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है।

इस भाग का पैरा क प्रत्येक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। दर संरचना में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है।

इस भाग का पैरा ख, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

इस भाग का पैरा ग, प्रत्येक फर्म की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए

विनिर्दिष्ट की गई हैं।

इस भाग का पैरा घ, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

इस भाग का पैरा ङ, कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में कर की दरें वे ही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2004-2005 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं, जैसे घरेलू कंपनियों की दशा में पैंतीस प्रतिशत और विदेशी कंपनियों की दशा में चालीस प्रतिशत।

प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो कोई व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम या व्यक्ति निकाय है, और जिसकी आय आठ लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है और जहां आय-कर की स्रोत पर कटौती की जानी है या “अग्रिम कर” इस भाग के उपबंधों के अनुसरण में संदेय है, वहां आय-कर की ऐसी रकम में, अध्याय 8क के अधीन रिबेट अनुज्ञात करने के पश्चात्, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां आय-कर इस भाग के उपबंधों के अनुसरण में, संगणित किया जाना है, वहां आय-कर की ऐसी रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, फर्म, स्थानीय प्राधिकारी या कंपनी की दशा में, जहां आय-कर इस भाग के उपबंधों के अनुसरण में, संगणित किया जाना है, वहां आय-कर की ऐसी रकम में संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है।

यह भी प्रस्ताव है कि वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 के खंड 2 के उपखंड (4) से उपखंड (10) में यथाविनिर्दिष्ट और संघ के प्रयोजनों के लिए उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम में, संघ के प्रयोजनों के लिए, ऐसे आय-कर और अधिभार के दो प्रतिशत की दर से परिकलित आय-कर पर “शिक्षा उपकर” के नाम से ज्ञात अतिरिक्त अधिभार से और वृद्धि की जाएगी जिससे विश्वस्तरीय आधारभूत शिक्षा का उपबंध करने और इसको वित्तपोषित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। आय-कर पर शिक्षा उपकर 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाले पूर्ववर्ष के दौरान संदेय होगा और तदनुसार पश्चात्पूर्वी पूर्ववर्ष के संबंध में लागू होगा।

खंड 3 – विधेयक का खंड 3 आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जो परिभाषाओं से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि धारा 2 के खंड (24) में एक नया उपखंड (xiii) अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा माल या सेवाओं के प्रतिफल से अन्यथा, किसी व्यक्ति से कोई राशि, जो 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात्, चाहे नकद या बैंक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से जमा के रूप में प्राप्त की जाती है, उस खंड में यथा परिभाषित आय की परिभाषा में सम्मिलित की जाएगी।

तथापि, यह प्रस्ताव है कि नए खंड (xiii) की परिधि से कतिपय राशियों को अपवर्जित किया जाए। ऐसी राशियां जो आय में सम्मिलित नहीं होंगी, वे होंगी जो (क) नैसर्गिक प्रेम और स्नेह के कारण किसी नातेदार से किसी व्यक्ति को या, किसी वसीयत के अधीन अथवा विरासत के रूप में किसी व्यक्ति या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुंब को या किसी नियोजक से बोनस, उपदान या पेंशन के रूप में या कोई ऐसी अन्य राशि जो पूर्णतः कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं की मान्यता के रूप में हो, किसी कर्मचारी या मृत कर्मचारी के आश्रितों को, या (ख) किसी व्यक्ति अथवा हिन्दू अविभक्त कुटुंब के कर्ता या सदस्य की मृत्यु को आसन्न मानकर प्राप्त, या (ग) इस अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट कोई आय या कोई अन्य आय जो आय-कर अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है या जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, या (घ) उक्त अधिनियम के अधीन धारा 47 में निर्दिष्ट अंतरणों के कारण प्राप्त हुई हैं या उसके खाते में जमा की गई हैं।

यह भी प्रस्ताव है कि नए प्रस्तावित उपखंड (xiii) के प्रयोजनों के लिए “नातेदार” पद को परिभाषित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 4 – विधेयक का खंड 4 आय-कर अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है जो प्राप्त हुई समझी गई आय से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में भाग लेने वाले किसी कर्मचारी के जमा अतिशेष में हुई वार्षिक अनुवृद्धि, किसी पूर्ववर्ष में अभिदाय और उस पर ब्याज के उस परिमाण तक जो विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक है, ऐसे पूर्ववर्ष में प्राप्त हुई आय समझी जाती है। इसी प्रकार किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अंतरित अतिशेष उस परिमाण तक, जिस तक निधि के अनुमोदन के वर्ष से पूर्व प्रत्येक पूर्ववर्षों में अभिदाय और उस पर ब्याज विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होती है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें भविष्य निधि को मान्यता प्राप्त होती है, कर्मचारी की आय समझा जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में एक नया खंड (iii) अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा, विधेयक के खंड 15 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित धारा 80गघघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय, पूर्ववर्ष में प्राप्त हुई आय समझा जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 5 – विधेयक का खंड 5 आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो उस आय से, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, संबंधित है।

धारा 10 के खंड (4) के उपखंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति की दशा में, भारत में किसी बैंक में अनिवासी (विदेशी) खाते में उसके खाते में ब्याज के रूप में जमा धन पर किसी आय को उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपखंड (क), उक्त खंड (4) के उपखंड (ii) में दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति की दशा में 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् ब्याज के रूप में उसे संदत्त की गई या उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में जमा की गई किसी आय को उस व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड (6खख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर छूट का उस कर के संबंध में उपबंध किया गया है जिसका संदाय किसी ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई है, उस आय पर, जो किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम को 31 मार्च, 1997 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1999 के पूर्व किए गए और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार के अधीन पट्टे पर वायुयान या वायुयान इंजन के (जो पट्टे पर लिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में फालतू पुर्जे, सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए संदाय से भिन्न हैं) अर्जित किए जाने के प्रतिफल के रूप में हुई है तथा ऐसी आय पर कर ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा उस करार के निबंधनों के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय है।

उपखंड (ख) उक्त छूट को 1 सितंबर, 2004 को और उसके पश्चात् किए गए ऐसे सभी करारों के संबंध में अनुज्ञात करने का प्रस्ताव करता है।

यह संशोधन 1 सितंबर, 2004 से प्रभावी होगा।

उपखंड (ग) की मद (क), धारा 10 के खंड (15) में, एक नया उपखंड (iiiग) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यूरोपीय विनिधान बैंक को, 25 नवंबर, 1993 को केंद्रीय सरकार द्वारा उस बैंक के साथ किए गए वित्तीय सहयोग के लिए आधारभूत करार के अनुसरण में उसके द्वारा दिए गए उधार पर संदेय ब्याज, को उस बैंक की कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा किसी अनिवासी को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 की उपधारा (6) के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विदेशी करेंसी में निक्षेपों पर, जहां बैंक द्वारा ऐसे निक्षेपों का प्रतिग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, संदेय ब्याज को उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

उपखंड (ग) की मद (ख) यह उपबंध करने के लिए है कि 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् संदेय ऐसे ब्याज को उस व्यक्ति की कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड (15क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन छूट का उपबंध किसी ऐसे संदाय पर किया गया है, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी किसी भारतीय कंपनी द्वारा, किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम से किसी करार के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1997 और 31 मार्च, 1999 के बीच किया गया कोई करार नहीं है, और इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है, पट्टे पर वायुयान या वायुयान इंजन (जो पट्टे पर दिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में फालतू पुर्जे, सुविधाएं या सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किए गए संदाय से भिन्न हैं), अर्जित करने के लिए किया गया है।

उपखंड (घ) में 1 सितंबर, 2004 को या उसके पश्चात् किए गए सभी ऐसे करारों के संबंध में उक्त छूट को वापस लेने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ङ), एक नया खंड (19) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे संघ के किसी सशस्त्र बल के (जिसके अंतर्गत अर्द्ध सैनिक बल भी हैं), सदस्य की, यथास्थिति, विधवा या उसके बालकों या नामनिर्दिष्ट वारिसों द्वारा प्राप्त कुटुंब पेंशन को, जहां ऐसे सदस्य की मृत्यु सक्रियात्मक ड्यूटी के दौरान, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधधीन हुई है, जो केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, छूट दी जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड (23चख) के स्पष्टीकरण I के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन “जोखिम पूंजी उपक्रम” पद को ऐसी घरेलू कंपनी के अर्थ में परिभाषित किया गया है, जिसके शेयर भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेवाएं उपलब्ध कराने, किसी वस्तु या पदार्थ के उत्पादन या विनिर्माण में लगी हुई है किंतु इसके अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप या सेक्टर नहीं हैं जो केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

उपखंड (च) में यह प्रस्ताव है कि “जोखिम पूंजी उपक्रम” को ऐसे जोखिम पूंजी उपक्रम के अर्थ में परिभाषित किया जाए जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूंजी निधि) विनियम, 1996 में निर्दिष्ट किया गया है और जिसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए बोर्ड द्वारा राजपत्र में उस रूप में अधिसूचित किया गया है।

यह और प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण 2 का लोप किया जाए। यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

खंड (23छ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अवसरचना पूंजी निधि या अवसरचना पूंजी कंपनी या सहकारी बैंक के धारा 80झक की उपधारा (4) में निर्दिष्ट कारबार या धारा 80झख की उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवास परियोजना या किसी होटल अथवा अस्पताल परियोजना के कारबार में लगे किसी उपक्रम में किए गए विनिधानों से धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभों से भिन्न लाभों या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय, कुल आय से अपवर्जित है।

उपखंड (छ) में उक्त खंड (23छ) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी अवसरचना पूंजी कंपनी के, उपधारा 115ण में निर्दिष्ट लाभों से भिन्न लाभों, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी आय को धारा 115जख के अधीन बही लाभ की संगणना करने में और उस धारा के अधीन आय-कर के संदाय के लिए गिना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उपखंड (ज) उक्त धारा में तीन नए खंड, खंड (37), खंड (38) और खंड (39) अंतःस्थापित करने के लिए हैं।

प्रस्तावित खंड (37) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की दशा में, जो कोई व्यक्ति या कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, किसी ऐसी कृषि भूमि के, जो धारा 2 के खंड (14) के उपखंड (iii) की मद (क) या मद (ख) में निर्दिष्ट किसी क्षेत्र में अवस्थित भूमि है, अंतरण से उद्भूत, “पूजा अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय को छूट प्राप्त होगी जहां ऐसी भूमि का उपयोग अंतरण की तारीख से ठीक पूर्व दो वर्षों में ऐसे हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति या उसके किसी माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए किया जा रहा था, जहां ऐसा अंतरण किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन के रूप में है या ऐसा अंतरण है, जिसके प्रतिफल के लिए केन्द्रीय सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवधारण या अनुमोदन किया गया है और ऐसी आय, ऐसे अंतरण के लिए प्रतिकर या प्रतिफल से, 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् उद्भूत हुई है।

आगे प्रस्ताव है कि उक्त नए खंड (37) में प्रयुक्त “प्रतिकर या प्रतिफल” पद को परिभाषित किया जाए।

प्रस्तावित खंड 38 यह उपबंध करने के लिए है कि किसी दीर्घकालिक पूजा अस्तित्व के, जो प्रतिभूति है और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में किया जाता है, अंतरण से उद्भूत आय, कर से छूट प्राप्त होगी।

प्रस्तावित खंड “प्रतिभूति” और “मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज” पदों को भी परिभाषित करता है। इन पदों का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में उसका है।

प्रस्तावित नए खंड (39) में यह उपबंध है कि धारा 2 के खंड (24) के खंड (xiii) में निर्दिष्ट कोई आय उस सीमा तक, जिस तक पूर्ववर्ष के दौरान प्राप्त की गई या जमा की गई ऐसी आय का योग पच्चीस हजार रुपए की राशि से अधिक नहीं है, और एक लाख रुपए से अनधिक की ऐसी और राशि, जो किसी व्यक्ति द्वारा उसके विवाह के अवसर पर प्राप्त की गई है, कुल आय में नहीं जोड़ी जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 6 – विधेयक का खंड 6 आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है जो न्यासों या संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में आय-कर आयुक्त द्वारा किसी न्यास या किसी संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया का उपबंध है।

उपरोक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं तो वह संबद्ध न्यास या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 7 – विधेयक का खंड 7 आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो “वेतन”, “परिलब्धि” और “वेतन के बदले में लाभ” की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (1) “वेतन” की एक सम्मिलित परिभाषा का उपबंध करती है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 17 के खंड (1) में एक नया उपखंड (viii) अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूर्ववर्ष में केंद्रीय सरकार द्वारा, धारा 80गगघ में निर्दिष्ट किसी पेंशन स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी के खाते में किया गया अभिदाय वेतन में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 8 – विधेयक का खंड 8 आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जो अवक्षयण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की दशा में, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे किसी निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित किया गया है, उक्त धारा के खंड (ii) के अधीन

कटौती के रूप में पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य अतिरिक्त राशि अनुज्ञात की जाती है। उक्त खंड के पहले परंतुक के खंड (आ) में यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2002 से पूर्व विद्यमान किसी औद्योगिक उपक्रम की दशा में ऐसे किसी पूर्ववर्ष के दौरान, जिसमें वह संस्थापित क्षमता में पच्चीस प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि के रूप में सारवान विस्तार प्राप्त करता है, ऐसी कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन संस्थापित क्षमता में वृद्धि के लिए सीमा विद्यमान पच्चीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 9 – आय-कर अधिनियम की धारा 33कग का संशोधन करने के लिए है जो पोत परिवहन कारबार के लिए आरक्षितियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, पोतों के प्रचालन का कारबार करने के मुख्य उद्देश्य से भारत में बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनी या पब्लिक कंपनी को, इतनी रकम की कटौती अनुज्ञात की गई है जो कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए, जिसके अंतर्गत किसी रकम का आरक्षित खाते में जमा किया जाना भी है, पोतों के प्रचालन के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत से अधिक न हो। उक्त उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि जहां, ऐसे आरक्षित खाते में समय-समय पर अग्रणीत रकमों का योग, निर्धारिती की समादत शेयर पूंजी की रकम (आरक्षितियों से पूंजीगत रकमों को छोड़कर) के दुगने से अधिक हो जाती है, वहां ऐसे आधिक्य के संबंध में कोई मोक नहीं दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त उपधारा में एक तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए उक्त धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 10 – विधेयक का खंड 10 आय-कर अधिनियम की धारा 35कग का संशोधन करने के लिए है जो पात्र परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय से संबंधित हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, राष्ट्रीय समिति किसी संगम या संस्था को अनुदत्त अनुमोदन, यदि उस समिति का यह समाधान हो जाता है कि परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार जिनके अधीन रहते हुए अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, कार्यान्वित नहीं की गई है, संबंधित संगम या संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् वापस ले सकेगी।

प्रस्तावित संशोधन विद्यमान उपधारा (4) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन वापस लेने के लिए एक अतिरिक्त आधार का उपबंध किया जा सके। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी दशा में जहां ऐसा संगम या संस्था जिसे अनुमोदन अनुदत्त किया गया है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, उस समिति को रिपोर्ट देने में असफल रहती है तो राष्ट्रीय समिति, किसी समय, संबंधित संगम या संस्था का अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संबंधित संगम या संस्था का अनुमोदन वापस ले सकेगी। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अनुमोदन वापस लेने के आदेश की एक प्रति उस निर्धारण अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता संबंधित संगम या संस्था पर है, अग्रेषित की जाएगी।

उपधारा (5) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाता है कि उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित परियोजना या स्कीम ऐसी सभी या किन्हीं शर्तों के अनुसार, जिनके अधीन रहते हुए ऐसी परियोजना या स्कीम अधिसूचित की गई थी, कार्यान्वित नहीं की जा रही है, वहां ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिससे वह जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को राष्ट्रीय समिति द्वारा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात् वापस ली जा सकेगी।

आगे प्रस्तावित संशोधन विद्यमान उपधारा (5) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे राष्ट्रीय समिति द्वारा अनुमोदन वापस लेने के लिए एक अतिरिक्त आधार का उपबंध किया जा सके। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि यदि ऐसी पात्र परियोजना या स्कीम के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, रिपोर्ट

प्रस्तुत नहीं की गई है तो ऐसी अधिसूचना उसी रीति से वापस ली जा सकेगी जिससे वह जारी की गई थी। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अनुमोदन वापस लेने की प्रस्थापना के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर, राष्ट्रीय समिति द्वारा, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी को दिया जाएगा। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि उस अधिसूचना की प्रति जिसके द्वारा पात्र परियोजना या स्कीम की अधिसूचना वापस ली जाती है, उस निर्धारण अधिकारी को जिसकी अधिकारिता, यथास्थिति, संबंधित संगम, संस्था, पब्लिक सेक्टर कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी पर है, अग्रोषित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 11 – विधेयक का खंड 11 आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है जो कटौती न किए जाने योग्य रकम से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा के खंड (क) में एक नया उपखंड (ik) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ब्याज, कमीशन या दलाली, वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस को जो किसी निवासी को संदेय है, किसी काम को करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) ठेकेदार या उपठेकेदार के, जो निवासी है, नाम जमा की गई और संदत्त की गई रकमों को, जिन पर कर की कटौती नहीं की गई है या कटौती के पश्चात् उन्हें धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन और अध्याय 17ख के अन्य उपबंधों के अनुसार विहित समय की समाप्ति के पूर्व संदत्त नहीं किया गया है, “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्षक के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां ऐसी किसी राशि के संबंध में कर की कटौती अध्याय 17ख के अधीन की गई है या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में उसका संदाय किया गया है, वहां ऐसी राशि को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा। प्रस्तावित नए खंड (ik) में प्रयुक्त “कमीशन या दलाली”, “तकनीकी सेवाओं के लिए फीस”, “वृत्तिक सेवाएं” और “काम” पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 12 – विधेयक का खंड 12 आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

विधेयक के खंड 3 में धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xiii) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कतिपय रकमों को उक्त उपखंड (xiii) में विनिर्दिष्ट कतिपय अपवादों के अधीन रहते हुए आय की परिधि के भीतर लाया जा सके।

यह प्रस्ताव है कि धारा 56 की उपधारा (2) में एक नया खंड (v) अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 2 के खंड (24) के उपखंड (xiii) में निर्दिष्ट बीस हजार रुपए से अधिक आय, “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में प्रभार्य होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 13 – विधेयक का खंड 13 आय-कर अधिनियम की धारा 71 का संशोधन करने के लिए है जो एक शीर्ष से होने वाली हानि का अन्य शीर्ष से होने वाली आय के प्रति मुजरा किए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, “पूजी अभिलाभ” से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन संगणित हानि की रकम का किसी अन्य शीर्ष के अधीन संगणित आय के प्रति मुजरा किया जाना अनुज्ञात है। “पूजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणित आय किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के प्रति मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में एक नई उपधारा (2क) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, “कारबार या वृत्ति के लाभ या अभिलाभ” शीर्ष के अधीन संगणित हानि, “वेतन” शीर्ष के अधीन आय के प्रति मुजरा किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 14 – विधेयक का खंड 14 आय-कर अधिनियम में नई धारा 80गगघ अंतःस्थापित करने के लिए है जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय के संबंध में कटौती से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा 80गगघ की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई निर्धारिती, जो केंद्रीय सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् नियोजित कोई व्यक्ति है, जिसने किसी पेंशन स्कीम में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो या अधिसूचित की जाए, किसी रकम का संदाय किया है या उसे जमा किया है, वहां उसकी संपूर्ण आय की संगणना करने में उसके द्वारा संदत्त या जमा की गई ऐसी संपूर्ण रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि जहां किसी कर्मचारी की दशा में, केंद्रीय सरकार उक्त खाते में कोई अभिदाय करती है वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में केंद्रीय सरकार द्वारा अभिदाय की गई उस संपूर्ण रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी, जो पूर्ववर्ष में उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि जहां उस निर्धारिती के पेंशन खाते में उसके नाम जमा कोई रकम, जिसके संबंध में प्रस्तावित धारा 80गगघ के अधीन कोई कटौती प्रस्तावित की गई है उस पर प्रोद्भूत उस रकम सहित, यदि कोई हो, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती द्वारा उक्त पेंशन स्कीम की समाप्ति या उसके उसमें न रहने का विकल्प लेने के कारण, चाहे पूर्णतः या भागतः किसी पूर्ववर्ष में प्राप्त की जाती है या किसी वार्षिकी योजना से पेंशन प्राप्ति के रूप में प्राप्त की जाती है वहां वह रकम, यथास्थिति, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें, यथास्थिति, ऐसी रकम निकाली जाती है या पेंशन प्राप्त की जाती है, निर्धारिती या उसके नामनिर्देशिती की आय समझी जाएगी और तदनुसार उस पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभार्य होगी।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या जमा की गई कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि एक स्पष्टीकरण का उपबंध किया जाए जिससे कि “वेतन” पद को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 15 – विधेयक का खंड 15 आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ का संशोधन करने के लिए है जो किसी आश्रित के, जो निःशक्त व्यक्ति है, चिकित्सीय उपचार सहित भरण-पोषण की बाबत कटौती से संबंधित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 80घघ के विद्यमान उपबंधों में किसी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के लिए, जिसने किसी आश्रित की बाबत, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन यथा परिभाषित ‘निःशक्त व्यक्ति’ है, चिकित्सीय उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए व्यय उपगत किया है, पचास हजार रुपए की रकम की कटौती के लिए उपबंध है। जहां ऐसा आश्रित अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त है वहां पचहत्तर हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की गई है। ‘आश्रित’ पद को परिभाषित किया गया है जिससे कि उसमें किसी व्यक्ति की दशा में उसके पति/उसकी पत्नी, बालकों, माता-पिता, भाइयों और बहनों और हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में उसके किसी ऐसे सदस्य को सम्मिलित किया जा सके, जो निर्धारिती पर पूर्णतः या मुख्यतः आश्रित है और जिसने धारा 80घ के अधीन किसी कटौती का दावा नहीं किया है। इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति से आय की विवरणी के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि “निःशक्तता” का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है ;

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “निःशक्तता” पद में राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट ‘स्वपरायणता’, ‘प्रमस्तिष्क घात’ और ‘बहु-निःशक्तता’ को सम्मिलित किया जा सके ;

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (झ) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि “चिकित्सा प्राधिकारी” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण

भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में यथा निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

यह और प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “चिकित्सा प्राधिकारी” पद में ऐसा अन्य प्राधिकारी भी सम्मिलित होगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (ञ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट ‘स्वपरायणता’, ‘प्रमस्तिष्क घात’, ‘बहु-निःशक्तता’, ‘निःशक्त व्यक्ति’, और ‘गंभीर निःशक्तता’ को प्रमाणित करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (च) के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि “निःशक्त व्यक्ति” पद से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत होगा ।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त खंड का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि “निःशक्त व्यक्ति” पद में राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट निःशक्त व्यक्ति भी सम्मिलित होगा ।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (छ) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति अभिप्रेत है ।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त खंड को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जाए कि “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” पद में राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति भी सम्मिलित होगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 16 – विधेयक का खंड 16 आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपकरणों या उद्यमों से लाभ और अभिलाम की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि कटौती का निर्धारित द्वारा उस वर्ष से, जिसमें उपकरण या उद्यम कोई अवसंरचना सुविधा विकसित करता है या उसका प्रचालन आरंभ करता है या दूर-संचार सेवाएं देना प्रारंभ करता है या औद्योगिक पार्क या किसी विशेष आर्थिक जोन का विकास करता है या विद्युत पैदा करता है या विद्युत का पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है, प्रारंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किन्हीं दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए दावा किया जा सकेगा ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारित उस वर्ष से जिसमें उपकरण विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है, प्रारंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से दस वर्षों के लिए कटौती का दावा भी कर सकेगा ।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि ऐसे उपकरण, जो विद्युत पैदा करने या वितरण या पारेषण करने में लगे हुए हैं और पुनर्गठित या खंडित करके या अस्सी प्रतिशत से अधिक पुराने संयंत्र और मशीनरी को नए कारबार में अंतरण करके बनाए गए हैं, धारा 80झक के अधीन कटौती के लिए पात्र नहीं होंगे ।

यह प्रस्ताव है कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तों को दूर संचार सेक्टर को भी लागू किया जाए ।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट शर्तें किसी राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूर्व में प्रयुक्त मशीनरी या संयंत्र के अंतरण की दशा में, चाहे पूर्णतः हो या भागतः लागू नहीं होंगी, चाहे ऐसा अंतरण विद्युत अधिनियम, 2003 के भाग 13 के अधीन ऐसे राज्य विद्युत बोर्ड को खंडित करके या उसकी पुनर्संरचना करके या राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के अनुसरण में है या नहीं ।

उक्त धारा 80झक की उपधारा (4) कटौती के लिए पात्र क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट करती है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई ऐसा उपकरण, जिसने 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2004 को या उससे पूर्व दूर-संचार सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ किया है या प्रारंभ करता है, उस

वर्ष से, जिसमें वह उपकरण दूर-संचार सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ करता है, प्रारंभ होने वाले पन्द्रह वर्षों में से किन्हीं दस निर्धारण वर्षों के लिए कटौती के लिए पात्र है ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (ii) का संशोधन किया जाए जिससे उक्त समय-सीमा को एक वर्ष, अर्थात् 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाया जा सके ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (iv) के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसा कोई उपकरण, जो – (क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत में स्थापित किया जाता है यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करता है ; (ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान नई पारेषण या वितरण लाइनों का नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है, उक्त धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र है ।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त खंड (iv) में एक नया उपखंड (ग) अंतःस्थापित किया जाए जिससे उक्त कटौतियों को ऐसे उपकरण को भी अनुज्ञात किया जा सके, जो 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों का सारभूत नवीकरण या आधुनिकीकरण करता है ।

यह भी प्रस्ताव है कि नए उपखंड (ग) के नीचे एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे ‘सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण’ पदों की परिभाषा के लिए उपबंध किया जा सके, जिससे पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क में संयंत्र और मशीनरी में 1 अप्रैल, 2004 को ऐसे संयंत्र और मशीनरी के बही मूल्य के कम से कम पचास प्रतिशत तक की कोई वृद्धि अभिप्रेत हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

खंड 17 – विधेयक का खंड 17 आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपकरणों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपकरणों से लाभ और अभिलाम की बाबत कटौती से संबंधित है ।

उपखंड (क) उक्त धारा की उपधारा (1) में प्रस्तावित उपधारा (11ख) के प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित करने के लिए है । संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

उक्त धारा की उपधारा (4) के विद्यमान उपबंध, आठवीं अनुसूची में यथा सूचीबद्ध किसी औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में 1.4.1993 से प्रारंभ होने वाली और 31.3.2004 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्थापित चीजों या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में या शीतागार संयंत्र के प्रचालन में लगे औद्योगिक उपकरणों के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए लाभों से सौ प्रतिशत कटौती के लिए और उसके अगले पांच वर्ष के लिए पच्चीस प्रतिशत (किसी कंपनी की दशा में तीस प्रतिशत) की कटौती के लिए उपबंध करते हैं ।

उपखंड (ख) में उक्त धारा में तीसरे परंतुक के पश्चात् दो परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित चौथा परंतुक जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक उपकरण स्थापित करने के लिए और चीजों या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन अथवा शीतागार संयंत्र के प्रचालन के लिए समय सीमा को 31 मार्च, 2004 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2005 करने के लिए है ।

प्रस्तावित पांचवां परंतुक यह उपबंध करने के लिए है कि इस उपधारा के अधीन कोई कटौती जम्मू-कश्मीर राज्य में अवस्थित किसी ऐसे औद्योगिक उपकरण को अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो तेरहवीं अनुसूची के भाग ‘ग’ में विनिर्दिष्ट चीजों या वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ है ।

उपधारा (8क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास कार्य कर रही किसी कंपनी की दशा में, धारा के अधीन कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए आरंभिक अवधि से आरंभ होकर दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए अनुज्ञेय कटौती की रकम लाभों और अभिलामों का सौ प्रतिशत होगी । उक्त उपधारा का खंड (iii) यह अनुबंधित करता है कि कंपनी 31 मार्च, 2000 के पश्चात् किन्तु 1 अप्रैल, 2004 से पूर्व किसी भी समय विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए ।

उपखंड (ग) उपधारा (8क) का संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिससे कि समय-सीमा को 31 मार्च, 2005 तक बढ़ाया जा सके ।

उपधारा (10) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे किसी उपकरण के लाभ की सौ प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है यदि आवास परियोजना, उक्त उपधारा के खंड (क) से खंड (ग) तक में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा 31 मार्च, 2005 के पूर्व

अनुमोदित की जाती है। उक्त उपधारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि – (क) उपक्रम ने आवासन परियोजना का विकास 1 अक्टूबर, 1998 के पश्चात् प्रारंभ किया हो, (ख) परियोजना ऐसे आकार के भू-भाग पर होनी चाहिए जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ हो, और (ग) निवास इकाई का अधिकतम निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट, जहां ऐसी निवास इकाइयाँ दिल्ली या मुंबई शहरों के भीतर या इन शहरों की नगरपालिका सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के भीतर अवस्थित है और किसी अन्य स्थान पर पन्द्रह सौ वर्ग फुट होना चाहिए।

उपखंड (घ), उक्त धारा की उपधारा (10) को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया जा सके कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विद्यमान उपबंधों के अधीन 31 मार्च, 2005 के बजाय 31 मार्च, 2007 के पूर्व अनुमोदित आवास परियोजनाओं के विकास और निर्माण में लगे उपक्रम द्वारा व्युत्पन्न लाभ की सौ प्रतिशत कटौती इन शर्तों के अध्वधीन होगी कि – (क) ऐसे उपक्रम ने आवास परियोजना का विकास और सन्निर्माण 1 अक्टूबर, 1998 को या उसके पश्चात् प्रारंभ किया है या करता है और उस वित्तीय वर्ष की जिसमें आवास परियोजना स्थानीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाती है, समाप्ति से चार वर्ष के भीतर सन्निर्माण पूरा करता है; (ख) परियोजना ऐसे आकार के भू-भाग पर है जिसका न्यूनतम क्षेत्रफल एक एकड़ है सिवाय ऐसी किसी आवास परियोजना की दशा में जहां आवास परियोजना, विद्यमान भवनों के पुनःसन्निर्माण या पुनःविकास के लिए केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाई गई और इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम के अनुसार चलाई जा रही है; (ग) जहां ऐसी निवास इकाई दिल्ली या मुंबई शहरों के भीतर या इन शहरों की नगरपालिका सीमाओं से पच्चीस किलोमीटर के भीतर अवस्थित है, वहां निवास इकाई का अधिकतम निर्मित क्षेत्र एक हजार वर्ग फुट है और किसी अन्य स्थान पर एक हजार पांच सौ वर्ग फुट है; और (घ) आवास परियोजना में सम्मिलित दुकानों और अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं का निर्मित क्षेत्र, आवास परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्र के पांच प्रतिशत या दो हजार वर्ग फुट, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं है।

आगे प्रस्ताव है कि प्रस्तावित उपधारा (10) के खंड (क) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुमोदन की तारीख, वह तारीख होगी जिसको उक्त परियोजना का उस दशा में, जहां एक से अधिक बार अनुमोदन अभिप्राप्त किया जाता है, पहली बार अनुमोदन किया जाता है और यह भी उपबंध किया जा सके कि सन्निर्माण के पूरा होने की तारीख वह तारीख होगी जिसको स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (11क) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि खाद्यान्नों की उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन के समेकित कारबार में लगे किसी उपक्रम को, आरंभिक निर्धारण वर्ष से प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों की सौ-प्रतिशत और उसके पश्चात् ऐसे कारबार के प्रचालन से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों के पच्चीस प्रतिशत की (या जहां निर्धारित कोई कंपनी है, तीस प्रतिशत की) कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

प्रस्तावित उपखंड (ड) कटौती को फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण, परिरक्षण और पैकेजिंग के कारबार में लगे उपक्रमों तक विस्तारित करने के लिए है।

उपखंड (च) उक्त धारा में एक नई उपधारा (11ख) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी उपक्रम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुसंधान के कारबार से व्युत्पन्न लाभ उस आरंभिक निर्धारण वर्ष से, जिसमें उपक्रम चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराना आरंभ करता है, प्रारंभ होने वाले पांच निर्धारण वर्षों के लिए ऐसे लाभों और अभिलाभों के सौ प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र होगा। कोई उपक्रम ऐसी कटौती के लिए पात्र होगा यदि – (क) ऐसा अस्पताल 1 अक्टूबर, 2004 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान सन्निर्मित किया गया है, (ख) उसमें रोगियों के लिए कम से कम सौ बिस्तर हैं; और (ग) सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के विनियमों के अनुसार है। निर्धारित से यह अपेक्षित होगा कि वह प्रस्तावित उपधारा (11ख) के अधीन कटौती का दावा करने के लिए विहित प्रारूप में और उसमें विनिर्दिष्ट रीति में एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट फाइल करे।

उक्त धारा की उपधारा (14) का विद्यमान उपबंध कतिपय पदों को परिभाषित करता है।

उपखंड (छ) “निर्मित क्षेत्र” पद को परिभाषित करने और “आरंभिक निर्धारण वर्ष” पद की परिभाषा का संशोधन करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 18 – विधेयक का खंड 18 आय-कर अधिनियम की धारा 80प का संशोधन करने के लिए है जो किसी निःशक्त व्यक्ति की दशा में कटौती से संबंधित है।

आय-कर अधिनियम की धारा 80प के विद्यमान उपबंधों में किसी व्यक्ति के लिए जिसे निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अधीन ‘निःशक्त व्यक्ति’ के रूप में परिभाषित किया गया है, पचास हजार रुपए की रकम की कटौती के लिए उपबंध है। जहां ऐसा व्यक्ति अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त है, वहां पचहत्तर हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की गई है। इस धारा के अधीन कटौती का दावा करने वाले व्यक्ति से आय की विवरणी के साथ चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

उक्त धारा का स्पष्टीकरण, निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के सुसंगत उपबंधों के प्रति निर्देश से “निःशक्तता”, “चिकित्सा प्राधिकारी”, “निःशक्त व्यक्ति”, “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” पदों को परिभाषित करता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि उपरोक्त उल्लिखित पदों की परिभाषा का, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 के लिए विस्तार किया जा सके।

प्रस्तावित स्पष्टीकरण के खंड (क) में यह उपबंध है कि “निःशक्तता” पद का वही अर्थ है जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (झ) में है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग) और खंड (ज) में निर्दिष्ट ‘स्वपरायणता’, ‘प्रमस्तिष्क घात’ और ‘बहु-निःशक्तता’ भी हैं।

प्रस्तावित स्पष्टीकरण के खंड (ख) में यह उपबंध है कि “चिकित्सा प्राधिकारी” पद से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (त) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (क), खंड (ग), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ण) में निर्दिष्ट ‘स्वपरायणता’, ‘प्रमस्तिष्क घात’, ‘बहु-निःशक्तता’, ‘निःशक्त व्यक्ति’, और ‘गंभीर निःशक्त व्यक्ति’ को प्रमाणित करने के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

प्रस्तावित स्पष्टीकरण के खंड (ग) में यह उपबंध है कि “निःशक्त व्यक्ति” पद से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (न) में या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दिष्ट व्यक्ति अभिप्रेत है।

प्रस्तावित स्पष्टीकरण के खंड (घ) में यह उपबंध है कि “गंभीर निःशक्त व्यक्ति” से निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट अस्सी प्रतिशत या अधिक की किसी एक या अधिक निःशक्तताओं से ग्रस्त व्यक्ति या राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (ण) में निर्दिष्ट गंभीर निःशक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 19 – विधेयक का खंड 19 आय-कर अधिनियम की धारा 87 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारित की कुल आय पर, उस पर आय-कर की रकम की संगणना करने में जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी है, आय-कर की रकम में से धारा 88, धारा 88क, धारा 88ख और धारा 88ग में विनिर्दिष्ट कटौतियां उन धाराओं के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन अनुज्ञात की जाती हैं।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि धारा 88 या धारा 88क या धारा 88ख या धारा 88ग के अधीन कटौतियों की रकम का योग, निर्धारित की कुल आय पर उस आय-कर की रकम से (जो अध्याय 8 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने के पूर्व संगणित की गई है) अधिक नहीं होगा जिससे वह किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभावी है।

यह प्रस्ताव है कि एक नई धारा 88घ (विधेयक के खंड 21 द्वारा) अंतःस्थापित की जाए, जो किसी व्यक्ति को, जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, रिबेट से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में भी नई धारा 88घ का निर्देश दिया जाए। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 20 – विधेयक का खंड 20 आय-कर अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है जो जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि अभिदाय आदि पर कर रिबेट से संबंधित है।

धारा 88 की उपधारा (2) के खंड (xv) के उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में किसी आवासिक गृह संपत्ति के, जिससे आय “गृह संपत्ति से आय” शीर्ष के अधीन कर से प्रभाय है, क्रय या सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए, लिए गए उधारों के प्रतिसंदाय पर रिबेट के लिए उपबंध है। उक्त उपखंड (xv) निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी बैंक से, जिसके अंतर्गत सहकारी बैंक या जीवन बीमा निगम या राष्ट्रीय आवास बैंक या आवास वित्तपोषण के कारबार में लगी कोई लोक कंपनी या किसी नियोजक से, जो कोई पब्लिक कंपनी या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी या कोई विश्वविद्यालय या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कोई सहकारी सोसाइटी है, उधार ली गई रकम के प्रतिसंदाय पर ऐसे रिबेट को अन्य बातों के साथ अनुज्ञात करता है।

उक्त उपधारा के उपर्युक्त खंड (xv) के उपखंड (ग) में एक नई मद (6क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे निर्धारिती द्वारा उसके नियोजक से किसी आवासिक गृह संपत्ति के क्रय या सन्निर्माण के प्रयोजनों के लिए उधार ली गई किसी रकम के प्रतिसंदाय के लिए एक कर रिबेट के लिए उपबंध किया जा सके, जहां ऐसा नियोजक किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित कोई प्राधिकरण या कोई बोर्ड या कोई निगम या अन्य निकाय है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 21 – विधेयक का खंड 21 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 88घ अंतःस्थापित करने के लिए है जिसमें ऐसे व्यष्टियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक लाख रुपए से अनधिक है, कर के रिबेट के लिए उपबंध किया गया है।

प्रस्तावित धारा यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसा निर्धारिती, जो भारत में निवासी कोई व्यष्टि है, जिसकी कुल आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है, अपनी कुल आय पर किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रभाय आय-कर की रकम में से (अध्याय 8 के अधीन कटौती अनुज्ञात करने से पूर्व संगणित रूप में) ऐसे आय-कर के सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती का हकदार होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 22 – विधेयक का खंड 22 आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है जो विदेशों से करार से संबंधित है।

धारा 90 के स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह घोषित किया जाता है कि किसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का प्रभार उस दर से अधिक दर पर जिस पर कोई देशी कंपनी प्रभाय है, ऐसी विदेशी कंपनी की बाबत कर का कम अनुकूल प्रभाय या उद्ग्रहण नहीं समझा जाएगा, जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेरों पर लाभांश भी है) जो भारत में उसकी आय में से संदेय है, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है।

स्पष्टीकरण में आने वाले, “जहां ऐसी विदेशी कंपनी ने लाभांशों की (जिसके अंतर्गत अधिमानी शेरों पर लाभांश भी है) जो भारत में उसकी आय में से संदेय है, भारत में घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था नहीं की है।” भाग का लोप करने का प्रस्ताव है, चूंकि यह निरर्थक हो गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1962 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 23 – विधेयक का खंड 23 आय-कर अधिनियम की धारा 94 का संशोधन करने के लिए है जो प्रतिभूतियों के कतिपय संव्यवहारों द्वारा कर के अपवचन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (7) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां कोई व्यक्ति रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों या यूनिट का क्रय करता है और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पश्चात् तीन मास की अवधि के भीतर उनका विक्रय कर देता है और ऐसी प्रतिभूतियों या यूनिटों पर प्राप्त लाभांश छूट प्राप्त

है, वहां प्रतिभूतियों या यूनिट के ऐसे क्रय या विक्रय मद्दे उद्भूत होने वाली हानि, छूट प्राप्त लाभांश की आय के परिमाण तक, कर के लिए प्रभाय उसकी आय की संगणना के प्रयोजन के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी।

उपखंड (क) पूर्वोक्त धारा की उपधारा (7) का संशोधन करने के लिए है जिससे रिकार्ड तारीख के पश्चात् यूनिटों के विक्रय के संबंध में समय-सीमा को तीन मास से बढ़ाकर नौ मास किया जा सके।

उपखंड (ख) पूर्वोक्त धारा में एक नई उपधारा (8) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति रिकार्ड तारीख के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर किन्हीं यूनिटों का क्रय करता है या अर्जन करता है और उसे ऐसी यूनिटों के आधार पर, कोई संदाय किए बिना अतिरिक्त यूनिटें आर्बिट्रि की जाती हैं या वह उनका हकदार हो जाता है, और तत्पश्चात् ऐसी तारीख के पश्चात् नौ मास की अवधि के भीतर सभी या किन्हीं अतिरिक्त यूनिटों को धारित करते हुए, ऐसी सभी या किन्हीं यूनिटों का विक्रय करता है वहां यूनिटों के ऐसे क्रय और विक्रय मद्दे उसको उद्भूत होने वाली हानि, यदि कोई हो, कर के लिए प्रभाय उसकी आय की संगणना के प्रयोजनों के लिए हिसाब में नहीं ली जाएगी और इस प्रकार हिसाब में नहीं ली गई हानि की रकम, आय-कर अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अतिरिक्त यूनिटों के, जो उसके द्वारा ऐसे अंतरण या विक्रय की तारीख को धारित है, क्रय या अर्जन की, लागत समझी जाएगी।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (कक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, “रिकार्ड तारीख” से ऐसी तारीख अभिप्रेत है जो, यथास्थिति, लाभांश या आय प्राप्त करने के लिए प्रतिभूति धारक या यूनिट धारक की हकदारी के प्रयोजनों के लिए किसी कंपनी या किसी पारस्परिक निधि या विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा नियत की जाए।

उपखंड (ग) पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के उक्त खंड (कक) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि “रिकार्ड तारीख” के अंतर्गत ऐसी तारीख भी है जिसको यूनिट धारक को कोई संदाय किए बिना अतिरिक्त यूनिटें आर्बिट्रि की जाती हैं या वह उनका हकदार हो जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 24 – विधेयक का खंड 24 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 111क अंतःस्थापित करने के लिए है जो कतिपय दशाओं में अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा में यह उपबंध है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में किसी अल्पकालिक पूंजी आस्ति के, अंतरण से, जो प्रतिभूति है और ऐसी प्रतिभूतियों के विक्रय का संव्यवहार उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का अध्याय 7 प्रवृत्त होता है, भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, उद्भूत कोई ऐसी आय सम्मिलित है जो “पूंजी अभिलाभ” शीर्ष के अधीन प्रभाय है वहां निर्धारिती द्वारा कुल आय पर संदेय कर दस प्रतिशत की दर पर होगा।

इस धारा के परंतुक में यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो निवासी है, की दशा में जहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों को घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम है जो आय-कर से प्रभाय नहीं है वहां ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों में से ऐसी रकम घटा दी जाएगी, जिससे इस प्रकार घटाकर आई कुल आय ऐसी अधिकतम रकम से कम पड़ जाती है जो आय-कर से प्रभाय नहीं है और ऐसे अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के अतिशेष पर कर की संगणना दस प्रतिशत की दर से की जाएगी।

यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि “प्रतिभूति” और “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” पदों का वही अर्थ है जो अधिनियम की धारा 10 के खंड (38) में हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 25 – विधेयक का खंड 25 आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) की मद (ii) में, एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर परिकलित संदेय आय-कर की रकम दस प्रतिशत की दर से होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 26 – विधेयक का खंड 26 आय-कर अधिनियम की धारा 115अख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा 115अख में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी की दशा में, यदि 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष की बाबत इस अधिनियम के अधीन यथासंगणित कुल आय पर संदेय आय-कर उसके बही लाभ के साढ़े सात प्रतिशत से कम है तो सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए संदेय कर ऐसे बही लाभ का साढ़े सात प्रतिशत समझा जाएगा। “बही लाभ” से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के भाग 2 और 3 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए गए लाभ और हानि लेखे में यथादर्शित शुद्ध अभिलाभ अभिप्रेत है, जिसमें से उस धारा में विनिर्दिष्ट रूप में कतिपय समायोजनों को घटा दिया गया हो। पूर्वोक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि बही लाभ को धारा 10 में निर्दिष्ट किसी आय से संबंधित व्यय की रकम या रकमों से बढ़ा दिया जाएगा और उस धारा में निर्दिष्ट आय की रकम में से घटा दिया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा 115अख के स्पष्टीकरण के खंड (च) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि बही लाभ को ऐसी किसी आय से [उसके खंड (23छ) में निर्दिष्ट आय को छोड़कर] जिसको धारा 10 लागू होती है, संबंधित रकम या रकमों से बढ़ा दिया जाएगा। यह और प्रस्ताव है कि उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ii) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी आय की रकम को जिसे धारा 10 लागू होती है, [खंड (23छ) में निर्दिष्ट आय को छोड़कर] पूर्वोक्त धारा के अधीन संदेय आय-कर की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए बही लाभ में से घटा दिया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 27 – विधेयक का खंड 27 आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों की वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर साढ़े बारह प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर का संदाय करने के लिए दायी होगी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (2) का संशोधन किया जाए जिससे कि किसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित आय की कोई रकम कर से प्रभार्य होगी और ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी या पारस्परिक निधि ऐसी वितरित आय पर, विद्यमान उपबंधों के अधीन लागू साढ़े बारह प्रतिशत की अतिरिक्त आय-कर की एकल दर के बजाय, यदि वितरण किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, किया जाता है तो साढ़े बारह प्रतिशत की दर से और किसी अन्य दशा में बीस प्रतिशत की दर से, आय-कर का संदाय करने के लिए दायी होगी।

यह संशोधन 9 जुलाई, 2004 से प्रभावी होगा।

पूर्वोक्त उपधारा (2) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, खुली साधारण शेयरोन्मुखी निधियों के यूनिट धारकों पर ऐसी निधियों से 1 अप्रैल, 2003 से प्रारंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए किए गए किसी वितरण के संबंध में वितरित ऐसी किसी आय के संबंध में कोई अतिरिक्त कर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त छूट का 31 मार्च, 2004 से आगे विस्तार किया जाए और इसलिए यह प्रस्ताव है कि उक्त समय-सीमा का लोप किया जाए।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 28 – विधेयक का खंड 28 पोत परिवहन कंपनियों की आय पर कर के लिए विशेष उपबंध से संबंधित एक नया अध्याय 12छ अंतःस्थापित करने के लिए है। इस अध्याय में धारा 115फ से धारा 115फयग तक 30 धाराएं अंतर्विष्ट हैं।

प्रस्तावित धारा 115फ उक्त अध्याय में प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करती है।

प्रस्तावित धारा 115फक पोत परिवहन कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना से संबंधित है जिसमें यह उपबंध है कि कोई टनभार कर कंपनी, अपने विकल्प पर, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से आय की संगणना कर सकेगी और ऐसी आय “कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय समझी जाएगी।

प्रस्तावित धारा 115फख पोत प्रचालन से संबंधित है जिसमें यह उपबंध है कि किसी कंपनी को पोत प्रचालक कंपनी माना जाएगा यदि वह किसी पोत का, चाहे वह उसके स्वामित्वाधीन हो या उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया हो, प्रचालन करती है और इसके अंतर्गत वह दशा भी है, जिसमें पोत का कोई भाग भी, स्लाट चार्टर, स्थान चार्टर या संयुक्त चार्टर जैसी किसी व्यवस्था में, उसके द्वारा भाड़े पर लिया गया है, किंतु इसके अंतर्गत वह दशा नहीं है, जिसमें किसी पोत को कंपनी द्वारा तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अनावृत्त नौका चार्टर निबंधनों पर भाड़े पर दिया गया है। यह भी उपबंधित किया गया है कि किसी कंपनी को ऐसे पोत का प्रचालक नहीं समझा जाएगा जो उसके द्वारा अनावृत्त नौका चार्टर-सह-अंतरण निबंधनों पर भाड़े पर दिया गया है।

प्रस्तावित धारा 115फग अर्हक कंपनी से संबंधित है जिसमें यह उपबंध है कि कोई कंपनी एक अर्हक कंपनी होगी, यदि यह कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत कंपनी है; कंपनी के दक्ष प्रबंध का स्थान भारत में है; इसके स्वामित्वाधीन कम से कम एक अर्हक पोत है; और कंपनी का एक मुख्य उद्देश्य अर्हक पोतों के प्रचालन का कारबार करना है। “कंपनी के दक्ष प्रबंध का स्थान” पद को प्रस्तावित धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।

प्रस्तावित धारा 115फघ अर्हक पोत से संबंधित है जिसमें यह उपबंध है कि अर्हक पोत से पन्द्रह शुद्ध टनभार या अधिक का कोई समुद्रगामी पोत या जलयान अभिप्रेत है, परिवहन जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है किंतु इसमें (i) कोई समुद्रगामी पोत या जलयान नहीं है, यदि जिस मुख्य प्रयोजन के लिए उसे प्रयुक्त किया जाता है वह माल या भूमि पर सामान्यतया उपलब्ध कराए जाने वाली प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था करना है; (ii) मछली पकड़ने का जलयान; (iii) कारखाना पोत; (iv) क्रीड़ायाण; (v) बंदरगाह और नदी नौघाट; (vi) अपट संस्थापन; (vii) निकर्षण पोत; (viii) ऐसा अर्हक पोत जिसका किसी पूर्ववर्ष के दौरान तीस से अधिक दिन की अवधि के लिए मछली पकड़ने के जलयान के रूप में प्रयोग आरंभ किया जाना है, सम्मिलित नहीं है।

प्रस्तावित धारा 115फड में टनभार कर स्कीम के अधीन कर की संगणना की रीति का उपबंध है। यह उपबंधित किया गया है कि अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार में लगी कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर स्कीम के अधीन ऐसे कारबार के लाभों की संगणना करेगी और ऐसे लाभ को किसी अन्य कारबार के लाभ और अभिलाभों से पृथक् रूप में संगणित किया जाएगा। धारा 115फड की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय को प्रोद्भूत करने वाले अर्हक पोत प्रचालन के कारबार को कंपनी द्वारा किए जा रहे सभी अन्य क्रियाकलापों या कारबार से सुभिन्न पृथक् कारबार के रूप में समझा जाएगा। यह भी उपबंधित किया गया है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभों को किसी अन्य कारबार के लाभों और अभिलाभों से पृथक् रूप में संगणित किया जाएगा। यह भी उपबंधित किया गया है कि स्कीम तभी लागू होगी यदि उस आशय का विकल्प धारा 115फत के उपबंधों के अनुसार दिया जाता है और टनभार कर स्कीम ऐसे किसी पूर्ववर्ष की बाबत लागू नहीं होगी यदि उस पूर्ववर्ष में टनभार कर विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया है या ऐसा विकल्प प्रवृत्त नहीं रहा है। यह भी उपबंधित किया गया है कि अर्हक पोत प्रचालन के कारबार में लगी किसी कंपनी के जो, यथास्थिति, टनभार कर स्कीम के अंतर्गत नहीं आती है या जिसने उस आशय का विकल्प नहीं दिया है, ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

प्रस्तावित धारा 115फच में यह उपबंध है कि इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, टनभार आय धारा 115फछ के अधीन संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित टनभार आय को “कारबार और वृत्ति के लाभ और अभिलाभ” शीर्ष के अधीन टनभार कर कंपनी की कर से प्रभार्य आय और धारा 115फड की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत पोत परिवहन आय समझा जाएगा।

प्रस्तावित धारा 115फछ में किसी टनभार कर कंपनी की टनभार आय की संगणना के लिए उपबंध है। यह उपबंधित किया गया है कि पूर्ववर्ष के लिए टनभार आय प्रत्येक अर्हक पोत की कुल टनभार आय होगी, जो उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार संगणित की गई हो। किसी अर्हक पोत की दैनिक टनभार आय को सारणी में विनिर्दिष्ट और, यथास्थिति, पूर्ववर्ष में दिनों की संख्या या यदि पोत को पूर्ववर्ष के केवल भाग के लिए कंपनी द्वारा अर्हक पोत के रूप में प्रचालित किया जाता है तो पूर्ववर्ष के भाग के दिनों की संख्या से गुणा की गई दरों के आधार पर परिकलित किया जाएगा। यह भी उपबंधित किया गया है कि टनभार से प्रस्तावित धारा 115फम में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र में उपदर्शित किसी पोत का टनभार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विहित रीति में संगणित समझा गया टनभार भी है। उक्त धारा में यह भी उपबंध है कि अध्याय के अधीन टनभार आय की संगणना करने में कोई कटौती या मुजरा अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। उक्त धारा में टनभार के पूर्णांकन के लिए भी उपबंध है। यह उपबंधित किया गया है कि समझा गया शुद्ध टनभार स्लाट, स्लाट चार्टर के क्रय की व्यवस्था और जलयान में से माल निकालने में हिस्सा बंटाने की व्यवस्था की बाबत टनभार होगा।

प्रस्तावित धारा 115फज में संयुक्त प्रचालन की दशा में, टनभार आय के परिकलन का उपबंध है। उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां कोई अर्हक पोत दो या अधिक कंपनियों द्वारा पोत में संयुक्त हित के रूप में या पोत के प्रयोग के लिए किसी करार के रूप में प्रचालित किया जाता है और उनके अपने-अपने अंश निश्चित और अभिनिश्चित किए जाने योग्य हैं वहां ऐसी प्रत्येक कंपनी की टनभार आय उस हित के उनके अंश के अनुपात में आय के अंश के बराबर रकम होगी। यह भी उपबंधित है कि जहां दो या अधिक कंपनियां किसी अर्हक पोत की प्रचालक हैं वहां प्रत्येक कंपनी की टनभार आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो केवल वही कंपनी प्रचालक रही हो।

प्रस्तावित धारा 115फझ सुसंगत पोत आय से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि किसी टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत आय से उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों से उसके लाभ और उपधारा (5) में निर्दिष्ट आनुषंगिक क्रियाकलापों से उसके लाभ अभिप्रेत हैं। यह उपबंधित किया गया है कि जहां खंड (ii) में विनिर्दिष्ट सभी आनुषंगिक क्रियाकलापों का योग उपधारा (2) में निर्दिष्ट मुख्य क्रियाकलापों के आवर्त के एक बटा चार प्रतिशत से अधिक होता है, वहां ऐसा आधिक्य इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए सुसंगत पोत आय का भाग नहीं बनेगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगा। किसी टनभार कर कंपनी के मुख्य क्रियाकलापों को उक्त धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह भी उपबंधित किया गया है कि केंद्रीय सरकार यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो इस धारा के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट किसी क्रियाकलाप को अपवर्जित कर सकेगी या उस सीमा को विहित कर सकेगी जिस तक ऐसे क्रियाकलाप मुख्य क्रियाकलापों में सम्मिलित किए जाएंगे। यह भी उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के समक्ष रखी जाएगी।

टनभार कर कंपनी के आनुषंगिक क्रियाकलाप ऐसे क्रियाकलाप होंगे जो मुख्य क्रियाकलापों के आनुषंगिक हैं और उस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं। यह उपबंधित किया गया है कि सुसंगत पोत आय, जो गैर-अर्हक पोतों के प्रचालन से होती है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन कराधेय होगी। यह भी उपबंधित किया गया है कि जहां टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए धारित किसी माल या सेवाओं को किसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे किसी अन्य कारबार में अंतरित किया जाता है या जहां ऐसी टनभार कर कंपनी द्वारा किए जा रहे अन्य कारबार के प्रयोजनों के लिए टनभार कर कारबार को अंतरित किया जाता है और प्रत्येक दशा में टनभार कर कारबार के लेखाओं में यथाभिलिखित ऐसे अंतरण के लिए प्रतिफल, यदि कोई है, अंतरण की तारीख को उस माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के समरूप नहीं होता वहां इस धारा के अधीन सुसंगत पोत आय की संगणना इस प्रकार की जाएगी मानो प्रत्येक दशा में अंतरण उस तारीख को ऐसे माल या सेवाओं के बाजार मूल्य पर किया गया था। जहां, निर्धारण अधिकारी की राय में इसमें पूर्व विनिर्दिष्ट रीति में सुसंगत पोत आय की संगणना में आपवादिक कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी आय की संगणना ऐसे युक्तियुक्त आधार पर करेगा जो वह ठीक समझे। यह भी उपबंधित किया गया है कि जहां निर्धारण अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि टनभार कर कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच निकट संबंध के कारण या किसी अन्य कारण से उनके बीच कारबार का क्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि उनके बीच संव्यवहार किए गए कारबार से टनभार कर कंपनी को उन सामान्य लाभों से, जिनका टनभार कर कारबार में उत्पन्न होना आशयित है, अधिक लाभ होता है, वहां निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजन के लिए टनभार कर कंपनी की सुसंगत पोत आय की संगणना करने में उस आय की रकम को हिसाब में लेगा जो युक्तियुक्त रूप से उससे व्युत्पन्न हुई समझी जाए। टनभार कर कंपनी की सुसंगत आय के अंतर्गत कोई हानि भी होगी और ऐसी हानि इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कभी प्रोद्भूत हुई नहीं समझी जाएगी।

प्रस्तावित धारा 115फज सामान्य खर्चों के दिए जाने से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि जहां कोई टनभार कर कंपनी, टनभार कर कारबार से भिन्न कोई कारबार या क्रियाकलाप भी करती है, वहां सामान्य खर्च, जो टनभार कर कारबार से हुए माने जा सकते हैं, युक्तियुक्त आधार पर अवधारित किए जाएंगे। यह भी उपबंधित किया गया है कि जहां अर्हक पोत से भिन्न किसी आस्ति का टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर कारबार के लिए अनन्यतः उपयोग नहीं किया जाता है, वहां ऐसी आस्ति के संबंध में अवक्षयण को निर्धारण अधिकारी द्वारा टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए और अन्य कारबार के लिए ऐसी आस्ति के प्रयोग को ध्यान में रखते हुए उसके टनभार कर कारबार और अन्य कारबार के बीच उचित अनुपात में आबंटित किया जाएगा।

प्रस्तावित धारा 115फट अवक्षयण से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि टनभार कर स्कीम के पहले पूर्ववर्ष के लिए अवक्षयण की संगणना उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संगणित अर्हक पोत के अवलिखित मूल्य पर की जाएगी। पूर्ववर्ष के पहले दिन को आस्तियों, जो पोत हैं, के समूह के अवलिखित मूल्य को अर्हक पोतों के (जिन्हें इसके पश्चात् इस धारा में अर्हक आस्ति कहा गया है) अवलिखित बही मूल्य

और गैर अर्हक पोतों के अवलिखित बही मूल्य के अनुपात में विभाजित किया जाएगा। अर्हक आस्तियों का समूह एक पृथक् आस्ति समूह गठित करेगा। अर्हक आस्तियों के समूह और अन्य आस्तियों के समूह के अवलिखित बही मूल्य की संगणना करने की रीति उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट की गई है। अर्हक आस्तियों के समूह का भाग बनने वाली किसी आस्ति का टनभार कर कारबार से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना आरंभ किए जाने की दशा में और किसी आस्ति के टनभार कर कारबार के लिए प्रयोग किए जाने वाली अन्य आस्तियों के समूह का भाग बनने की दशा में अवक्षयण का आबंटन उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) में उपबंधित किया गया है। यह उपबंधित किया गया है कि अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्हक आस्तियों के समूह और इस प्रकार सृजित अन्य आस्तियों के समूह के संबंध में अवक्षयण इस प्रकार अनुज्ञात किया जाएगा मानो उस अवलिखित मूल्य को पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष से अग्रनीत किया गया है। “अवलिखित बही मूल्य” पद को परिभाषित किया गया है।

प्रस्तावित धारा 115फट कटौतियों और मुजरा आदि के साधारण अपवर्जन से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि धारा 30 से धारा 43ख इस प्रकार लागू होंगी मानो उनमें निर्दिष्ट और सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी वर्ष से संबंधित या उसके लिए अनुज्ञेय प्रत्येक हानि, मोक या कटौती को उस पूर्ववर्ष के लिए ही पूर्ण प्रभाव दिया गया हो; धारा 70 की उपधारा (1) और उपधारा (3) या धारा 71 की उपधारा (1) और उपधारा (2) या धारा 72 की उपधारा (1) या धारा 72क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी हानि को, जहां तक ऐसी हानि कंपनी के अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से संबंधित है, वहां अग्रनीत या मुजरा नहीं की जाएगी, जहां ऐसी हानि उन पूर्ववर्षों में से किसी पूर्ववर्ष से संबंधित है, जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन है; अर्हक पोत प्रचालन के कारबार से लाभ और अभिलाभ के संबंध में अध्याय 6क के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण मोक की संगणना करने में टनभार कर कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी आस्ति का अवलिखित मूल्य इस प्रकार संगणित किया जाएगा मानो कंपनी ने सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए अवक्षयण की बाबत कटौती का दावा किया हो और वास्तव में उसे ऐसी कटौती अनुज्ञात की गई हो।

प्रस्तावित धारा 115फड हानि के अपवर्जन से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि धारा 72 ऐसी किन्हीं हानियों के संबंध में लागू होगी, जो किसी कंपनी को टनभार कर स्कीम में उसके प्रवेश से पूर्व उद्भूत हुई हों और उसके टनभार कर कारबार से इस प्रकार हुई मानी जा सकती हों मानो ऐसी हानियों का किसी पूर्ववर्ष में, जब कंपनी टनभार कर स्कीम के अधीन हो, सुसंगत पोत आय के मद्दे मुजरा किया गया था। उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानि धारा 115फट के अधीन कंपनी द्वारा अपने विकल्प का प्रयोग करने पर या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी पूर्ववर्ष में सुसंगत पोत आय से भिन्न किसी आय के मद्दे मुजरा किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। यह भी उपबंधित किया गया है कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट हानियों को अवधारित करने के लिए आवश्यक कोई प्रभाजन, युक्तियुक्त आधार पर किया जाएगा।

प्रस्तावित धारा 115फड टनभार कर आस्तियों के अंतरण से प्रभार्य अभिलाभों से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि किसी पूंजी आस्ति के, जो अर्हक आस्तियों के समूह का भाग बनने वाली आस्ति है, अंतरण से प्रोद्भूत होने वाले लाभ या अभिलाभ धारा 50 के साथ पठित धारा 45 के उपबंधों के अनुसार आय-कर से प्रभार्य होंगे और इस प्रकार प्रोद्भूत पूंजी अभिलाभों की धारा 45 से धारा 51 के उपबंधों के अनुसार संगणना की जाएगी।

प्रस्तावित धारा 115फण, धारा 115जख के अपवर्जन से संबंधित है। प्रस्तावित धारा 115फझ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी टनभार कर कंपनी के क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभ या हानि को धारा 115जख से अपवर्जित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा 115फत टनभार कर स्कीम का विकल्प देने की पद्धति और समय से संबंधित है। यह उपबंधित किया गया है कि कोई अर्हक कंपनी उस संयुक्त आयुक्त को जिसकी कंपनी पर अधिकारिता है, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए आवेदन करके टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प दे सकेगी। यह भी उपबंधित किया गया है कि किसी विद्यमान अर्हक कंपनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन 30 सितम्बर 2004 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 2005 से पूर्व किसी समय किया जा सकेगा। आरंभिक अवधि के पश्चात् निगमित किसी कंपनी या आरंभिक अवधि से पहले निगमित किसी कंपनी की दशा में, किंतु जो आरंभिक अवधि के पश्चात् पहली बार अर्हक कंपनी बनती है, कोई आवेदन, यथास्थिति, उसके निगमन की तारीख के पश्चात् या उस तारीख के तीन मास के भीतर किया जा सकता है जिसको वह अर्हक कंपनी बनी थी। संयुक्त आयुक्त, उपधारा (1) के अधीन टनभार विकल्प के लिए आवेदन की प्राप्ति पर, कंपनी से ऐसी सूचना या दस्तावेज मंगा सकेगा जिन्हें वह कंपनी की पात्रता के बारे में अपना समाधान करने के लिए आवश्यक समझे और कंपनी की, टनभार कर स्कीम के लिए ऐसा विकल्प करने की पात्रता के बारे में अपना समाधान कर लेने के पश्चात् वह

या तो टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा, या यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के अनुमोदन को नामंजूर करते हुए लिखित रूप में आदेश पारित करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, भेजी जाएगी। उपधारा (3) के, यथास्थिति, खंड (i) या खंड (ii) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का अनुमोदन अनुदत्त करने या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश उस मास की, जिसमें आवेदन उपधारा (1) के अधीन प्राप्त हुआ था, समाप्ति से एक मास के अवसान के पूर्व पारित किया जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि जहां टनभार कर स्कीम के लिए अनुमोदन अनुदत्त करने का आदेश उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया है, वहां प्रस्तावित अध्याय के उपबंध उस पूर्ववर्ष से, जिसमें टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग किया जाता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से लागू होंगे।

प्रस्तावित धारा 115फथ उस अवधि से संबंधित है जिसके लिए टनभार कर विकल्प प्रवृत्त बना रहता है। यह उपबंध किया गया है कि धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प अनुमोदित किए जाने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, दस वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा और उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसे विकल्प का प्रयोग किया गया है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से गणना में लिया जाएगा। टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प, अर्हक कंपनी के अर्हक कंपनी न रह जाने के पश्चात् या धारा 115फन या धारा 115फप या धारा 115फफ अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम होने पर प्रभावी नहीं रह जाएगा। टनभार कर विकल्प वहां भी प्रभावी नहीं रह जाएगा जहां कोई कंपनी धारा 115फयग के अधीन टनभार कर स्कीम से अपवर्जित है या जहां अर्हक कंपनी, निर्धारण अधिकारी को इस आशय की लिखित में घोषणा देती है कि इस अध्याय के उपबंध उस पर लागू न किए जाएं, वहां प्रचालन अर्हक पोटों के कारबार के लिए कंपनी के लाभ, आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित किए जाएंगे।

प्रस्तावित धारा 115फद टनभार कर स्कीम के नवीकरण से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन अनुमोदित टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का उस पूर्ववर्ष की, जिसमें विकल्प प्रभावी नहीं रह जाता है, समाप्ति से एक वर्ष के भीतर नवीकरण किया जा सकेगा और धारा 115फत या धारा 115फथ के उपबंध, टनभार कर स्कीम के विकल्प के नवीकरण के संबंध में उसी रीति से लागू होंगे जिससे वे टनभार कर स्कीम के विकल्प के अनुमोदन के संबंध में लागू होते हैं।

प्रस्तावित धारा 115फध कतिपय मामलों में टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के प्रतिषेध से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि कोई अर्हक कंपनी, जो स्वप्रेरणा से टनभार कर स्कीम छोड़ने का विकल्प करती है या धारा 115फन या धारा 115फप या धारा 115फफ के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है या जिसका विकल्प धारा 115फयग की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में टनभार कर स्कीम से अपवर्जित कर दिया गया है, यथास्थिति, ऐसे छोड़ देने या व्यतिक्रम या आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प देने की पात्र नहीं होगी।

प्रस्तावित धारा 115फन टनभार कर आरक्षित खाते में लाभों के अंतरण से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि टनभार कर कंपनी से यह अपेक्षा होगी कि वह आरक्षित खाते में (जिसे इसके पश्चात् टनभार कर आरक्षित खाता कहा गया है), प्रत्येक वित्तीय वर्ष में धारा 115फझ की उपधारा (1) के खंड (i) और खंड (ii) में निर्दिष्ट क्रियाकलापों से व्युत्पन्न बही लाभ से बीस प्रतिशत से अन्यून रकम, धारा 115फन में अधिकथित रीति से उपयोग किए जाने के लिए जमा करे। यह भी उपबंध किया गया है कि टनभार कर कंपनी, बही लाभ के बीस प्रतिशत से आधिक्य में राशि अंतरित कर सकेगी और इस प्रकार अंतरित आधिक्य राशि का भी धारा 115फन में अधिकथित रीति से उपयोग किया जाएगा। उपधारा (1) के नीचे के स्पष्टीकरण में, “बही लाभ” को परिभाषित किया गया है। उपधारा (2) के अधीन यह और उपबंध किया गया है कि जहां कंपनी को, अर्हक पोटों के प्रचालन के कारबार से बही लाभ है और किसी अन्य स्रोत से हानि है और परिणामस्वरूप, कंपनी उपधारा (1) के अधीन आरक्षित का पूर्णतः या भागतः सृजन करने की स्थिति में नहीं है, वहां कंपनी उस पूर्ववर्ष में अनुज्ञेय सीमा तक आरक्षित का सृजन करेगी और कमी, यदि कोई हो, आगामी पूर्ववर्ष के लिए सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षित की रकम में जोड़ी जाएगी और ऐसी कमी यदि कोई हो, उस आगामी पूर्ववर्ष की आरक्षित अपेक्षाओं का भागरूप समझी जाएगी। उक्त धारा की उपधारा (3) में उस रीति के लिए उपबंध है जिसमें उपधारा (1) के अधीन टनभार कर आरक्षित खाते में जमा की गई रकम का कंपनी द्वारा उपयोग किया जाएगा। उक्त धारा की उपधारा (4) ऐसी दशा में सुसंगत पोट आय के समुचित भाग पर कराधान के लिए उपबंध करती है, जहां उपधारा (1) के अधीन आरक्षित खाते में जमा की गई किसी रकम का, (i) उपधारा (3) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न के किसी प्रयोजन के लिए या (ii) उपधारा (3) के खंड (क) में

विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया है; या (iii) उपधारा (3) के खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट नए पोट के अर्जन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, किंतु ऐसे पोट को कंपनी द्वारा निर्विलयन की किसी स्कीम से भिन्न, उस पूर्ववर्ष के, जिसमें इसे अर्जित किया गया था, अंत से तीन वर्ष के अवसान से पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति को विक्रीत या अन्यथा अंतरित किया गया है। उक्त धारा की उपधारा (5), आरक्षित खाते में जमा में कमी की दशा में सुसंगत पोट आय के अनुपात में कराधान के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (6) में यह उपबंध है कि यदि उपधारा (1) के अधीन सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षित का, किसी टनभार कर कंपनी को किन्हीं दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए सृजन नहीं किया गया है, तो टनभार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प, उस दूसरे क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के, जिसमें उपधारा (1) के अधीन आरक्षित का सृजन करने में असफलता हुई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रह जाएगा। उक्त धारा के स्पष्टीकरण में, “नया पोट” पद परिभाषित है।

प्रस्तावित धारा 115फप टनभार कर कंपनी के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि टनभार कर कंपनी से, धारा 115फत की उपधारा (3) के अधीन उसका विकल्प अनुमोदित हो जाने के पश्चात्, यह अपेक्षा की जाएगी कि वह पोट परिवहन महानिदेशक द्वारा बनाए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षण अधिकारियों के संबंध में न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करे। पोट परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी किए गए इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति, कि ऐसी कंपनी ने पूर्ववर्ष के लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन कर लिया है, आय की विवरणी के साथ, प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी। यह भी उपबंध किया गया है कि यदि किन्हीं पांच क्रमवर्ती पूर्ववर्षों के लिए न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता है तो टनभार कर स्कीम के लिए कंपनी का विकल्प उस पांचवें क्रमवर्ती वर्ष से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन न्यूनतम प्रशिक्षण अपेक्षा का अनुपालन करने में असफलता हुई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रह जाएगा।

प्रस्तावित धारा 115फफ टनभार को भाड़े पर लेने के लिए परिसीमा से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसने टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प दिया है, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा प्रचालित अर्हक पोटों के शुद्ध टनभार के उनचास प्रतिशत से अनधिक टनभार भाड़े पर लिया जाएगा। उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि किसी पूर्ववर्ष के संबंध में, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शुद्ध टनभार का अनुपात, उस पूर्ववर्ष के दौरान शुद्ध टनभार के औसत के आधार पर संगणित किया जाएगा। उपधारा (3) में शुद्ध टनभार के औसत की संगणना की रीति दी गई है। उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि जहां भाड़े पर लिए गए पोटों का शुद्ध टनभार, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उपधारा (1) के अधीन परिसीमा से अधिक हो जाता है, वहां ऐसी कंपनी की, उस पूर्ववर्ष के संबंध में, कुल आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो उस पूर्ववर्ष के लिए टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का कोई प्रभाव नहीं है। उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि जहां उपधारा (1) के अधीन परिसीमा किन्हीं दो क्रमवर्ती पूर्ववर्षों में अधिक हो जाती है, वहां टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प उस दूसरे क्रमवर्ती पूर्ववर्ष के, जिसमें परिसीमा अधिक हो गई थी, आगामी पूर्ववर्ष के प्रारंभ से प्रभावी नहीं रह जाएगा।

प्रस्तावित धारा 115फब लेखाओं के रखे जाने और उनकी लेखापरीक्षा से संबंधित है। उक्त धारा में यह उपबंध है कि किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का, किसी पूर्ववर्ष के संबंध में तब तक प्रभाव नहीं होगा जब तक ऐसी कंपनी, प्रचालित अर्हक पोटों के कारबार के संबंध में पृथक् लेखा बहियां नहीं रखती हैं और उस पूर्ववर्ष की आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में लेखापाल की ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट नहीं देती है।

प्रस्तावित धारा 115फम टनभार के अवधारण से संबंधित है। उक्त धारा में यह उपबंध है कि किसी पोट का टनभार उसका शुद्ध टनभार उपदर्शित करते हुए विधिमाम्य प्रमाणपत्र के अनुसार अवधारित किया जाएगा। खंड (ख) इस प्रयोजन के लिए विधिमाम्य प्रमाणपत्र को परिभाषित करता है।

प्रस्तावित धारा 115फम सामेलन से संबंधित है। यह उपबंध किया गया है कि सामेलन की दशा में, टनभार कर स्कीम से संबंधित उपबंध यथासाध्य सामेलित कंपनी को, यदि वह एक अर्हक कंपनी है, लागू होंगे। यह भी उपबंध किया गया है कि जहां सामेलित कंपनी कोई टनभार कर कंपनी नहीं है, वहां वह सामेलन की स्कीम के अनुमोदन की तारीख से तीन मास के भीतर धारा 115फत की उपधारा (1) के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग करेगी। यह भी उपबंध किए जाने का प्रस्ताव है कि जहां सामेलित कंपनियां टनभार कर कंपनियां हैं, वहां इस अध्याय के उपबंध, यथासाध्य टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के रूप में ऐसी अवधि के लिए, जो सबसे लंबी अनवसित अवधि प्रवर्तन में बनी रहती है, सामेलित कंपनी को लागू होंगे।

यह भी उपबंध किया गया है कि जहां समामेलक कंपनियों में से कोई एक कंपनी 1 अक्टूबर, 2004 वह ऐसी अर्हक कंपनी है जिसने प्रारंभिक अवधि के भीतर टनभार स्कीम के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, वहां इस अध्याय के उपबंध समामेलित कंपनी को लागू नहीं होंगे और अर्हक पोतों के प्रचालन के कारबार से समामेलित कंपनी की आय को इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित किया जाएगा।

प्रस्तावित धारा 115फय निर्विलयन से संबंधित है और यह उपबंध करती है कि किसी निर्विलयन स्कीम में, टनभार कर स्कीम, यथासाध्य, अनवसित अवधि के लिए परिणामी कंपनी को, यदि वह अर्हक कंपनी है, लागू होगी। यह भी उपबंध किया गया है कि निर्विलयन कंपनी के संबंध में टनभार कर स्कीम का विकल्प, टनभार कर स्कीम की अनवसित अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा यदि वह अर्हक कंपनी बनी रहती है।

प्रस्तावित धारा 115फयक अर्हक पोतों का प्रचालन अस्थायी रूप से बंद करने के प्रभाव से संबंधित है। उक्त धारा यह उपबंध करती है कि किसी कंपनी द्वारा किसी अर्हक पोत के अस्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने को (स्थायी तौर पर प्रचालन में न रहने के विपरीत) ऐसे अर्हक पोत के प्रचालन के बंद होने के रूप में नहीं समझा जाएगा और कंपनी के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ऐसे अर्हक पोत का प्रचालन कर रही है।

प्रस्तावित धारा 115फयख कर परिवर्जन से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि टनभार कर स्कीम वहां लागू नहीं होगी, जहां कोई टनभार कर कंपनी किसी ऐसे संव्यवहार या ठहराव में कोई पक्षकार है जो टनभार स्कीम के दुरुपयोग की कोटि में आता है। उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है। उक्त उपधारा का स्पष्टीकरण “कर फायदा” पद को परिभाषित करता है। किसी संव्यवहार या ठहराव को दुरुपयोग माना जाएगा यदि ऐसे संव्यवहार या ठहराव को बनाने या लागू करने का, यदि यह धारा न होती तो परिणाम यह है या यह होगा कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर फायदा अभिप्राप्त किया गया होता। उपधारा के स्पष्टीकरण में “कर फायदा” पद की परिभाषा है।

प्रस्तावित धारा 115फयग टनभार कर स्कीम से अपवर्जन से संबंधित है। उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई टनभार कर कंपनी धारा 115फयख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संव्यवहार या ठहराव में कोई पक्षकार है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसी कंपनी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, किसी लिखित आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित करेगा। यह भी उपबंध किया गया है कि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश मुख्य आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा। उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि यह धारा, वहां लागू नहीं होगी, जहां कंपनी निर्धारण अधिकारी के समामेयनप्रद रूप में यह दर्शित करती है कि संव्यवहार या ठहराव सद्भावी वाणिज्यिक संव्यवहार था और इस अध्याय के अधीन कर फायदा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया गया था। उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी टनभार कर कंपनी को, टनभार कर स्कीम से अपवर्जित करते हुए, उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित कर दिया गया है, वहां टनभार कर स्कीम का विकल्प उस पूर्ववर्ष की, जिसमें संव्यवहार या ठहराव किया गया था, पहली अप्रैल से प्रवर्तन में नहीं रहेगा और पोतों के प्रचालन के कारबार से आय इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 29 – विधेयक का खंड 29 आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण समझा जाएगा, यदि उसके साथ, अन्य बातों के साथ-साथ, उस कर का, यदि कोई है, जिसका स्रोत पर कटौती किए जाने का दावा किया गया है, सबूत नहीं है।

धारा 199 में एक नई उपधारा (3) और एक नई धारा 203कक विधेयक के खंड 38 और खंड 43 द्वारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। इन उपबंधों में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए कर का विवरण देने और उसे केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने की उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसकी आय से कर की कटौती की गई है या उसकी ओर से कर संदत्त किया गया है, और यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके खाते से ऐसे कर की कटौती की गई है, कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दिए गए विवरण के आधार, प्रमाणपत्र दिए बिना कटौती किए गए कर का मुजरा दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां विवरणी के साथ, 1 अप्रैल, 2005

के पश्चात् स्रोत पर कटौती किए जाने का दावा किए गए कर का, यदि कोई है, सबूत नहीं है वहां आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण नहीं समझा जाएगा। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 30 – विधेयक का खंड 30 आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5क) के पहले परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 115कग की उपधारा (4) या धारा 115खख की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अनिवासी से अथवा धारा 115छ में निर्दिष्ट किसी अनिवासी भारतीय से उसका स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

उपखंड (क) उक्त पहले परंतुक का लोप करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन के पश्चात् लोप किए गए परंतुक में निर्दिष्ट व्यक्ति से, अध्याय 17ख के अधीन कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को अपना स्थायी लेखा संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

विधेयक के खंड 47 द्वारा पार्किंग स्थान, पथकर स्थान या खान या खदान से संबंधित संविदाओं या अनुज्ञप्ति या पट्टे की दशा में कर के संग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 206ग में नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

उपखंड (ख) धारा 139क की उपधारा (5ग) और उपधारा (5घ) में “अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार” के प्रतिनिर्देश अंतःस्थापित करने के लिए है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 31 – विधेयक का खंड 31 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 142क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा प्राक्कलन से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा 142क की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां धारा 69 या धारा 69ख में निर्दिष्ट किसी विनिधान के मूल्य या धारा 69क या धारा 69ख में निर्दिष्ट सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु के मूल्य का कोई प्राक्कलन इस अधिनियम के अधीन कोई निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के प्रयोजन के लिए किया जाना अपेक्षित है, वहां निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से ऐसे मूल्य का प्राक्कलन तैयार करने और उसको रिपोर्ट करने की अपेक्षा कर सकेगा।

प्रस्तावित नई धारा 142क की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि ऐसे मूल्यांकन अधिकारी को, जिसे उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश के संबंध में कार्रवाई करने के प्रयोजनों के लिए, वे सभी शक्तियां होंगी, जो उसे धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन प्राप्त हैं।

प्रस्तावित नई धारा 142क की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट की प्राप्ति पर और निर्धारित को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट को हिसाब में लेगा।

प्रस्तावित नई धारा 142क में अंतर्विष्ट, 30 सितम्बर, 2004 को या उसके पूर्व किए गए निर्धारण और जहां ऐसा निर्धारण उपबंध, उस तारीख को या उसके पूर्व अंतिम और निश्चायक हो गया है, उन दशाओं के सिवाय जहां धारा 153क के अधीन पुनः निर्धारण किया जाना अपेक्षित है, लागू नहीं होंगे।

यह प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण में “मूल्यांकन अधिकारी” पद की परिभाषा का उपबंध किया जाए, जिसका वही अर्थ होगा जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से, 15 नवम्बर, 1972 से प्रभावी होगा।

खंड 32 – आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के स्पष्टीकरण 1 में नए खंड (vi) और खंड (vii) अंतःस्थापित किए जाएं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको अग्रिम विनिर्णय प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और,

यथास्थिति, उस तारीख को, जिसको आवेदन को खारिज करने वाला आदेश या उस तारीख को, जिसको उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि को इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 33 – आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के स्पष्टीकरण में नए खंड (v) और खंड (vi) अंतःस्थापित किए जाएं, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस तारीख से, जिसको अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई आवेदन किया जाता है, प्रारंभ होने वाली और, यथास्थिति, उस तारीख को, जिसको आवेदन को खारिज करने वाला आदेश या उस तारीख को, जिसको उसके द्वारा घोषित अग्रिम विनिर्णय आयुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है, समाप्त होने वाली कालावधि को इस धारा के अधीन परिसीमा की अवधि की संगणना करने में अपवर्जित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 34 – विधेयक का खंड 34 आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है, जो ठेकेदारों या उप-ठेकेदारों को संदायों से स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि कोई कर किसी ऐसी संविदा के अनुसरण में, जिसके लिए प्रतिफल बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होता है, खाते में जमा की गई या संदाय की गई किसी राशि से उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (i) को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी राशि की रकम, जो ठेकेदार या उप-ठेकेदार के खाते में जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, यदि इस प्रकार जमा की गई या संदत्त की गई राशि बीस हजार रुपए से अधिक नहीं होती है, वहां उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव है कि जहां ऐसी राशियों की रकमों का योग, जो जमा या संदत्त की गई हैं या जिनके जमा या संदत्त किए जाने की संभावना है, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक हो जाता है, वहां, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती करने के दायित्वाधीन होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 35 – विधेयक का खंड 35 आय-कर अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कतिपय स्थावर संपत्ति के अर्जन पर प्रतिकर के संदाय से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि कोई व्यक्ति, जो किसी स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के तत्सम्य प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन मद्धे प्रतिकर या वर्धित प्रतिकर या प्रतिफल या वर्धित प्रतिफल के रूप में किसी राशि का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी राशि का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, संदाय करते समय, उसमें समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में उस राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती करेगा। यह भी प्रस्ताव है कि उस दशा में किसी कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी, जब वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निवासी को, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होती है। प्रस्तावित नई धारा में प्रयुक्त “कृषि भूमि” और “स्थावर संपत्ति” पदों को परिभाषित करने का और प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 36 – विधेयक का खंड 36 आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है, जो निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित करने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 37 – विधेयक का खंड 37 आय-कर अधिनियम की धारा 198 का संशोधन करने के लिए है, जो यदि आय प्राप्त हुई है तो कटौती किए गए कर से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 38 – विधेयक का खंड 38 आय-कर अधिनियम की धारा 199 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर की बाबत जमा से संबंधित है।

उपखंड (क) में प्रस्तावित संशोधन, विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

धारा 199 में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसी कटौती के लिए, जो की गई है और केंद्रीय सरकार को संदत्त की गई है, जमा उस व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय से कटौती की गई थी, कर का संदाय माना जाता है और इस प्रकार कटौती की गई रकम के लिए उसे, धारा 203 के अधीन दिए गए प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय थी, इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में उसको मुजरा दिया जाता है।

उपखंड (ख), उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई कटौती 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात्, अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार की जाती है और केंद्रीय सरकार को संदत्त की जाती है, वहां कटौती की गई और धारा 203क में निर्दिष्ट विवरण में विनिर्दिष्ट कर की रकम, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति की ओर से कर का संदाय मानी जाएगी और इस प्रकार कटौती की गई रकम के लिए, उसे इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में, उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, प्रमाणपत्र पेश किए बिना मुजरा दिया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 39 – विधेयक का खंड 39 आय-कर अधिनियम की धारा 200 का संशोधन करने के लिए है, जो कर की कटौती करने वाले व्यक्ति के कर्तव्य से संबंधित है।

उपखंड (क) में प्रस्तावित संशोधन, विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

उपखंड (ख) में उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, कोई व्यक्ति, जो 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करता है या कोई व्यक्ति, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट कोई नियोजक है, केंद्रीय सरकार के खाते में कटौती किए गए कर का संदाय करने के पश्चात्, विहित समय के भीतर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसी विशिष्टियां वर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगा या कराएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 40 – विधेयक का खंड 40 आय-कर अधिनियम की धारा 202 का संशोधन करने के लिए है, जो वसूल करने के ढंगों में कटौती का केवल एक ढंग होने से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन, विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 41 – विधेयक का खंड 41 आय-कर अधिनियम की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

उपखंड (क) में प्रस्तावित संशोधन, विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

धारा 199 में एक नई उपधारा (3) और एक नई धारा 203कक विधेयक के खंड 38 और खंड 43 द्वारा अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। इन उपबंधों में 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए कर का विवरण देने और उसे केन्द्रीय सरकार के खाते में जमा करने की उस व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जिसकी आय से कर की कटौती की गई है या उसकी ओर से कर संदत किया गया है, और यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति को जिसके खाते से ऐसे कर की कटौती की गई है, कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दिए गए विवरण के आधार प्रमाणपत्र दिए बिना कटौती किए गए कर का मुजरा दिया जाएगा।

उपखंड (ख) यह उपबंध करने के लिए है कि उक्त धारा 203 के अधीन कटौती किए गए कर का कोई प्रमाणपत्र 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए किसी कर के लिए जारी नहीं किया जा सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 42 – विधेयक का खंड 42 आय-कर अधिनियम की धारा 203क के स्थान पर, नई धारा प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कर कटौती लेखा संख्यांक से संबंधित है।

धारा 203क के विद्यमान उपबंधों में कर कटौती लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए उपबंध है। उपधारा (1) यह अपेक्षा करती है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करता है, ऐसे समय के भीतर जो अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किया जाए, कर कटौती लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए आवेदन करेगा। उपधारा (2), यह अपेक्षा करती है कि ऐसे संख्यांक का, कतिपय संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में हवाला दिया जाएगा।

धारा 206गक के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर संग्रहण करने वाला प्रत्येक ऐसा व्यक्ति निर्धारण अधिकारी को कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगा। इसमें यह और उपबंध है कि ऐसे संख्यांक का कतिपय संव्यवहारों से संबंधित सभी दस्तावेजों में हवाला दिया जाएगा।

धारा 203क के स्थान पर एक नई धारा रखे जाने का प्रस्ताव है जिसमें धारा 203क और धारा 206गक के विद्यमान उपबंधों का समावेश हो और उसमें अन्य बातों के साथ, अधिनियम के अधीन कर कटौती और साथ ही अध्याय 17ख या अध्याय 17खख के अधीन आने वाले उपबंधों के अधीन कर संग्रहण के लिए सामान्य पहचान संख्यांक का भी उपबंध किया जाए।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 43 – विधेयक का खंड 43 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 203कक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर, आदि का विवरण दिए जाने की अपेक्षा से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि एक नई धारा 203कक अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी या धारा 200 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, विहित समय के भीतर विहित प्ररूप में कटौती की गई रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए एक विवरण तैयार करेगा और उस व्यक्ति को जिसकी आय से कटौती की गई है या जिसकी आय की बाबत कर का संदाय किया गया है, को परिदत्त करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 44 – विधेयक का खंड 44 आय-कर अधिनियम की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है, जो “संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति,” के अर्थ से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन, विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 45 – विधेयक का खंड 45 आय-कर अधिनियम की धारा 205 का संशोधन करने के लिए है जो निर्धारिती पर प्रत्यक्ष मांग के वर्जन से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक के खंड 35 द्वारा अधिनियम में नई धारा 194ठक अंतःस्थापित किए जाने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 46 – विधेयक का खंड 46 आय-कर अधिनियम की धारा 206 का संशोधन करने के लिए है, जो कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित विवरणों के दिए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, सरकार के हर कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति, हर कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी, हर स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम की दशा में विहित व्यक्ति, हर प्राइवेट नियोजक और हर ऐसा अन्य व्यक्ति, जो कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, हर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से सत्यापित करा कर और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी विवरणियां तैयार करेगा और उन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए, जिससे केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या अभिकरण के पास विवरणियों को फाइल करना समर्थ बनाया जा सके।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास विवरणियां फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम बना सकेगा।

ये संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय-कर अधिनियम के अध्याय 17ख के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी, प्रत्येक कंपनी की दशा में प्रधान अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति, अपने विकल्प पर, ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापी, डिस्कट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, आदि जैसे कंप्यूटर माध्यम पर और ऐसी रीति में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा। उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि प्रत्येक कंपनी की दशा में कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (2) का संशोधन किया जाए जिससे कि सरकार के प्रत्येक कार्यालय की दशा में भी विहित व्यक्ति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परिदत्त करने या परिदत्त कराने की अपेक्षा की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 47 – विधेयक का खंड 47 आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्कूप आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त खंड (क) उक्त धारा में एक नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् “अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार” कहा गया है), किसी पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खनन या खदान में किसी अधिकार या हित का, कारबार के प्रयोजन के लिए ऐसे पार्किंग स्थान या पथकर स्थान या खनन या खदान के उपयोग के लिए पट्टा या अनुज्ञप्ति देता है या कोई संविदा करता है या अन्यथा अन्तरण करता है तो वह, अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा संदेय रकम अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते में विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से नकद रूप में या कोई चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रस्तावित उपधारा के अधीन दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की ऐसी किसी अनुज्ञप्ति, संविदा या पट्टे के अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि, जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (5) और उपधारा (9) में क्रमशः उपखंड (ख), उपखंड (ग), उपखंड (ङ) की मद (i) और उपखंड (ज) द्वारा प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

उपखंड (ग) की मद (ii), उक्त धारा की उपधारा (3) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार

1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर का संग्रहण करने वाला व्यक्ति, कटौती किए गए कर का केन्द्रीय सरकार को संदाय करने के पश्चात् विहित समय के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरण तैयार करेगा और ऐसा विवरण, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शैली से सत्यापित रूप में तथा ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी या उस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परित्त करेगा या कराएगा ।

उपखंड (घ), उक्त धारा की उपधारा (4) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई रकम, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत की जाती है और उपधारा (3) के अधीन केन्द्रीय सरकार को संदत्त की जाती है, वहां उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट विवरण में दर्शित संगृहीत कर की रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और इस अधिनियम के अधीन किए गए निर्धारण में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए उसको, प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना उस निर्धारण वर्ष के लिए, जिसके लिए ऐसी आय निर्धारणीय है, मुजरा दिया जाएगा ।

उपखंड (ङ), की मद (ii) उक्त धारा की उपधारा (5) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे मामले में, जहां कर 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार संगृहीत किया गया है, वहां कोई प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा । प्रस्तावित संशोधन यह और उपबंध करने के लिए है कि विहित आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (3) में निर्दिष्ट ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को कटौती किए गए कर की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, विनिर्दिष्ट करते हुए, विहित प्ररूप में एक विवरण तैयार करेगा और परित्त करेगा ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली कालावधि के लिए अर्धवार्षिक विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शैली से और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विहित आय-कर प्राधिकारी को परित्त करने या परित्त कराने की अपेक्षा की गई है ।

उपखंड (च) उक्त धारा की उपधारा (5क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने के लिए है कि उस धारा के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शैली से सत्यापित रूप में और ऐसी विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को परित्त करेगा या परित्त कराएगा ।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए, जिससे कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी या अभिकरण के पास विवरणियों का फाइल किया जाना समर्थ बनाया जा सके ।

उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है तो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण के पास ऐसी विवरणियां फाइल करने के प्रयोजनों के लिए कोई स्कीम विरचित कर सकेगा ।

उक्त धारा की उपधारा (5ख) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि स्रोत पर संगृहीत कर की विवरणी फ्लापियों, डिस्कैटें, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेपों, सीडी रोम जैसे कंप्यूटर माध्यम, या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल की जा सकेंगी । उक्त धारा की उपधारा (5ग) में यह उपबंध है कि ऐसी विवरणी में दी गई जानकारी को अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाएगा ।

उपखंड (छ), उक्त धारा की उपधारा (5ख) और उपधारा (5ग) के स्थान पर नई उपधाराएं (5ख), (5ग) और (5घ) रखने के लिए है ।

प्रस्तावित उपधारा (5ख) यह उपबंध करने के लिए है कि ऐसे मामले से भिन्न किसी मामले में, जहां विक्रेता कोई कंपनी, केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अपने विकल्प पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, विहित आय-कर प्राधिकारी को प्रत्येक

वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय पर या उसके पूर्व किसी फ्लापि, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंप्यूटर माध्यम कहा गया है) और ऐसी शैली में, जो उस स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी विवरणी परित्त करेगा या परित्त कराएगा । उक्त उपधारा के प्रस्तावित परंतुक में यह उपबंध है कि जहां विक्रेता कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति कोई कंपनी है वहां, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत के पश्चात् विहित समय के भीतर उक्त स्कीम के अधीन कंप्यूटर माध्यम पर ऐसी विवरणियां परित्त करेगा या परित्त कराएगा ।

प्रस्तावित नई उपधारा (5ग) यह उपबंध करने के लिए है कि कंप्यूटर माध्यम पर फाइल की गई विवरणी, उपधारा (5क) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए विवरणी समझी जाएगी और उसके अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों में, मूल को पेश किए जाने के अतिरिक्त सबूत के बिना, मूल की किसी अंतर्वस्तु के या उसमें कथित किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी ।

यह और प्रस्ताव है कि एक नई उपधारा (5घ) अंतःस्थापित की जाए । प्रस्तावित नई उपधारा (5घ) यह उपबंध करने के लिए है कि जहां निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि उपधारा (5ख) के अधीन परित्त की गई या परित्त कराई गई विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति को त्रुटि के बारे में सूचित कर सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर निर्धारण अधिकारी अपने विवेकानुसार अनुज्ञात करे, त्रुटि का सुधार करने का उसे अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, पन्द्रह दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात की गई और अवधि के भीतर त्रुटि को सुधारा नहीं जाता है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसा व्यक्ति विवरणी देने में असफल रहा हो ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा ।

उपखंड (ज) उपधारा (9) का संशोधन करने के लिए है जिससे कतिपय पारिणामिक संशोधन किए जा सकेंगे ।

खंड 48 – विधेयक का खंड 48 आय-कर अधिनियम की धारा 206गक का लोप करने के लिए है, जो कर संग्रहण लेखा संख्यांक से संबंधित है ।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करता है, निर्धारण अधिकारी को कर संग्रहण खाता संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन करेगा । इस धारा में यह भी उपबंध है कि ऐसे संख्यांक का, सभी चालानों में, सभी प्रमाणपत्रों में और धारा 206ग के उपबंधों के अनुसार प्रदत्त सभी विवरणियों में और ऐसे संव्यवहारों से संबंधित सभी अन्य दस्तावेजों में, जो राजस्व के हित में विहित किए जाएं, हवाला दिया जाना है ।

विधेयक के खंड 42 में आय-कर अधिनियम की धारा 203क को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे कि उसमें धारा 203क और धारा 206ग में अंतर्विष्ट उपबंध समाविष्ट किए जा सकें । अतः पूर्वोक्त धारा 206गक का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि इसके प्रवर्तन की अवधि को 1 अक्टूबर, 2004 तक ही सीमित किया जा सके । प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है ।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा ।

खंड 49 – विधेयक का खंड 49 आय-कर अधिनियम की धारा 245दक का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसे मामलों से संबंधित है, जिनमें कोई आय-कर अधिकरण या अपील अधिकरण किसी विवादक का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही करेगा ।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का संशोधन किया जाए जिससे कि धारा 245द की उपधारा (1) के स्थान पर धारा 245थ की उपधारा (1) का निर्देश किया जा सके । प्रस्तावित संशोधन प्रारूपण और स्पष्टीकारक प्रकृति का है ।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्टूबर, 1998 से प्रभावी होगा ।

खंड 50 – विधेयक का खंड 50 आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील आदेश से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 28 अधिनियम में पोत परिवहन कंपनियों की आय के संबंध में कर के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित एक नया अध्याय 12छ अंतःस्थापित करने के लिए है ।

उक्त अध्याय में प्रस्तावित धारा 115फत, अन्य बातों के साथ, कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए किसी विकल्प की नामजूरी का उपबंध करती है । यह उपबंध करने

का प्रस्ताव है कि उक्त धारा 115फत के अधीन टनभार कर स्कीम के लिए विकल्प के अनुमोदन को नामंजूर करने वाले किसी आदेश द्वारा व्यथित कोई कंपनी, आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगी।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्पूर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 51 – आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपील से संबंधित है। विधेयक का खंड 28 अधिनियम में पोत परिवहन कंपनियों की आय के संबंध में कर के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित एक नया अध्याय 12छ अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित धारा 115फयग में यह उपबंध है कि कोई निर्धारण अधिकारी, किसी टनभार कर कंपनी को टनभार कर स्कीम से अपवर्जित कर सकेगा, यदि ऐसी कंपनी ऐसे संव्यवहार के ठहराव की एक पक्षकार है, जो ऐसी स्कीम का दुरुपयोग है। टनभार कर कंपनी को अपवर्जित करने वाला कोई आदेश मुख्य आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् पारित किया जाएगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि टनभार कर स्कीम से अपवर्जन करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई कंपनी अपील अधिकरण को अपील कर सकेगी।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 52 – आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271चक अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे प्रस्तावित धारा 285खक की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, 1 अप्रैल, 2004 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक सूचना विवरणी देने की अपेक्षा की जाती है, उस उपधारा के अधीन विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है, तो उक्त उपधारा के अधीन विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 53 – विधेयक का खंड 53 आय-कर अधिनियम की धारा 272क का संशोधन करने के लिए है, जो प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन, उक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (ट) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि कोई व्यक्ति धारा 200 की उपधारा (3) या धारा 206ग की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा यथा अपेक्षित विवरण की प्रति सम्यक् समय के भीतर परिदत्त करने या परिदत्त कराने में असफल रहता है तो वह ऐसे व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए, शास्ति के रूप में, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 54 – विधेयक का खंड 54 आय-कर अधिनियम की धारा 272ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 139क के उपबंधों के अनुपालन में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139क की उपधारा (5ग) द्वारा यथा अपेक्षित अपना स्थायी खाता संख्यांक संसूचित करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे किसी संख्यांक का हवाला देता है या संसूचना देता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का उसे या तो ज्ञान या विश्वास है या उसका यह विश्वास है कि वह सही नहीं है तो निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, शास्ति के रूप में, दस हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 55 – विधेयक का खंड 55 आय-कर अधिनियम की धारा 272खखक का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 206गक के उपबंधों का पालन करने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, धारा 206गक के उपबंधों का पालन करने में असफल होने पर दस हजार रुपए की शास्ति का उपबंध है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 272खखक के उपबंध को, धारा 206गक के उपबंधों के अनुपालन में असफलता की दशा में 1 अक्टूबर, 2004 से अप्रवर्तनशील किया जाए। प्रस्तावित संशोधन, विधेयक के खंड 48 द्वारा प्रस्तावित धारा 206गक का संशोधन करने का पारिणामिक है।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 56 – विधेयक का खंड 56 आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 277क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो लेखाबहियों या दस्तावेज, आदि के मिथ्याकरण से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 277क अंतःस्थापित की जाए, जिससे अन्य बातों के साथ, इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य या अधिरोपणीय किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए लेखाबहियों या दस्तावेज आदि के मिथ्याकरण के लिए ऐसे कठोर कारावास के दंड का, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, उपबंध किया जा सके।

प्रस्तावित धारा 277क के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि किसी आरोप में (किसी विशिष्ट उदाहरण या कर की राशि, शास्ति या उस आशय को, जो ऐसे व्यक्ति का रहा है या रहा होता, विनिर्दिष्ट किए बिना) ऐसे अन्य व्यक्ति को किसी कर, शास्ति या ब्याज के अपवंचन में समर्थ बनाने वाले सामान्य आशय को अभिकथित करना पर्याप्त होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 57 – विधेयक का खंड 57 आय-कर अधिनियम की धारा 278ख का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनियों के अपराध से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां कंपनी के साथ ही वह व्यक्ति भी जो उस अपराध के किए जाने के समय कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी। आगे यदि कंपनी की दशा में यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (3) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि यदि अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा, जो कंपनी है, किया गया है और ऐसा अपराध कारावास और जुर्माने से दंडनीय है तो ऐसी कंपनी केवल जुर्माने से दंडित की जाएगी किन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उसका भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था या ऐसी कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी, जिसकी सहमति या मौनानुकूलता या उपेक्षा के कारण ऐसा अपराध हुआ था, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जुर्माने और कारावास के लिए भागी होगा।

यह संशोधन 1 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी होगा।

खंड 58 – विधेयक का खंड 58 आय-कर अधिनियम की धारा 285खक का संशोधन करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरणी से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध में यह उपबंध है कि कोई व्यक्ति, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कोई वित्तीय संव्यवहार करता है, जो विहित किया जाए, किसी पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए ऐसे वित्तीय संव्यवहार की बाबत विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, एक वार्षिक सूचना विवरणी देगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 285खक को प्रतिस्थापित किया जाए। प्रस्तावित नई उपधारा (1) में यह उपबंध है कि ऐसा कोई निर्धारित, जो कोई विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार करता है या सरकार के कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति या कतिपय अन्य प्राधिकारी, जो ऐसे किसी संव्यवहार को रजिस्टर करने या उसका अभिलेख रखने के लिए उत्तरदायी है, विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, ऐसे संव्यवहारों के संबंध में एक वार्षिक सूचना विवरणी प्रस्तुत

करेंगे। उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट बाध्यता वित्तीय वर्ष 2004-2005 और पश्चात्‌वर्ती वर्षों के लिए होगी।

प्रस्तावित उपधारा (2) में यह उपबंध है कि वार्षिक सूचना विवरणी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसी स्कीम के अनुसार, जो विहित की जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में (जिसके अंतर्गत फ्लोपी, डिस्कट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर है) विहित समय के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

प्रस्तावित उपधारा (3) “विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार” पद को परिभाषित करती है, जिससे कि उसमें माल या संपत्ति या संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय के किसी संव्यवहार या ऐसी कोई सेवा, जो विहित की जाए, देने के लिए किसी संव्यवहार या किसी संकर्म संविदा के अधीन किसी संव्यवहार या किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में किसी संव्यवहार या कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्राप्त करने के लिए किसी संव्यवहार को सम्मिलित किया जा सके, जहां किसी पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहार का मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रूपए या ऐसे अन्य उच्चतर मूल्य से, जो विहित किया जाए, अधिक होता है। यह भी उपबंध करने का प्रस्ताव है कि बोर्ड वार्षिक सूचना देने के लिए अपेक्षित भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए ऐसे संव्यवहारों का भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा।

प्रस्तावित उपधारा (4) में यह उपबंध है कि जहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह समझता है कि वार्षिक सूचना विवरणी त्रुटिपूर्ण है, वहां वह ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को उस त्रुटि की सूचना दे सकेगा और उसे एक मास या ऐसी अन्य बढ़ाई गई अवधि के भीतर सुधारने का अवसर दे सकेगा और यदि त्रुटि का सुधार नहीं किया जाता है, तो ऐसी विवरणी को अविधिमान्य विवरणी समझा जाएगा और अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति वार्षिक सूचना विवरणी देने में असफल रहा हो।

प्रस्तावित उपधारा (5) में यह उपबंध है कि जहां प्रस्तावित उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति ने विहित समय के भीतर वार्षिक सूचना विवरणी नहीं दी है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस पर एक सूचना की तामील कर सकेगा जिसमें साठ दिन की अवधि के भीतर उससे ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा व्यक्ति विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए वित्तीय संव्यवहारों को लागू होगा।

खंड 59 – विधेयक का खंड 59 आय-कर अधिनियम की तेरहवीं अनुसूची का संशोधन करने के लिए है।

उक्त अनुसूची में उक्त अधिनियम की धारा 80इअ के अधीन कटौतियों का उपभोग करने के प्रयोजन के लिए वस्तुओं या चीजों की सूची और राज्य विनिर्दिष्ट हैं।

विधेयक के खंड 17 में यह प्रस्ताव है कि धारा 80इअ की उपधारा (4) में पांचवां परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित किया जाए कि उस धारा की उपधारा (4) के अधीन कोई कटौती जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी ऐसे उपक्रम को, जो तेरहवीं अनुसूची के भाग ग में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण या उत्पादन में लगा है, अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त अनुसूची में एक नया भाग ग अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि ऐसी वस्तुओं या चीजों को, जो तंबाकू के सिगरेट/सिगार, विनिर्मित तंबाकू और उसके अनुकल्प; आसवित/निक्वाथित एल्कोहाली पेय और वातित ब्रांडयुक्त सुपेय और उनके सान्द्र हैं, विनिर्दिष्ट किया जा सके, जिनका विनिर्माण या उत्पादन, उपधारा (4) के प्रस्तावित नए पांचवें परंतुक के अधीन कटौती अननुज्ञात करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।